clarifications on steel. And the price rise. (*Interruptions*). It is not listed today. We will take it up.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : महोदया, एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैंने पिछले दिनों इस सदन में सवाल उठाया था और आपके आदेश के अनुसार मैंने सूचना भी दे दी थी लिखित तौर पर कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने मझको यह कहा कि स्थानीय एम.पी. को हम सुनेंगे, बाहर के एम.पी. की नहीं सुनेंगे। महोदया, यह पूरे सदन का अपमान है। अगर किसी मेम्बर का अपमान है तो जितना अपमान सभापति जी का है उतना ही अपमान किसी मेम्बर का है और एक मेम्बर का अपमान है तो यह सारे मेम्बर्स का अपमान है। इसलिए महोदया, मैं चाहता हूं कि इसको प्रिविलेज कमेटी में सीधे भेज दिया जाए। आपके सचिवालय से मैं जानना हूं जो नोटिस जाती है तो वे अफसर कह देते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। सीधे जवाबदेही से मुकर जाते हैं लेकिन उनको प्रिविलेज कमेटी में बुलाया जाए और वहां उनसे पूछा जाए कि... (**व्यवधान**) आप तो सुनती नहीं हैं।

उपसभापति : राम अवधेश जी, ये लोग कुछ बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात दूसरे कान से सुन रही हूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल के बारे में आपने कहा। आपकी पिटीशन चेयरमैन साहब के पास है और उसके ऊपर जरूर कुछ न कुछ चेयरमैन साहब निर्णय लेंगे, मैं इतना आश्वासन आपको देती हूं। अभी यह मटर ऐसा नहीं है कि हम हाउस में कुछ करें। आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए।

SHRI KAMAL MORARKA: Refer it to the Privileges Committee.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would request the Chairman to admit it to the Privileges Committee.

श्री राम अवधेश सिंह : सभापति का अपमान हुआ तो एक आदमी को आज बुलाकर रिप्रीमैंड किया और एक सदस्य का अपमान हुआ तो आप कहती हैं कि सभापति जी कर लेंगे। यह सदन सुप्रीम है और सदन के सदस्य का मामला है तो आप कहती है कि सभापति जी कर लेंगे।

उपसभापति : ये बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की चिट्ठी आई है। अभी आ जाती है। मैं आपको पढ़कर सुना दूंगी... (**व्यवधान**) मुझे पढ़ने तो दीजिए कि क्या लिखा है, मुझे यह भी नहीं मालूम है कि क्या लिखा है।

श्री राम अवधेश सिंह : अफसर लोग ऐसे ही गलत बयानी करते हैं और मुकर जाते हैं। इसलिए प्रिविलेज कमेटी में मामले को भेजा जाए।

SHRI P. UPENDRA: Madam, there was a small omission in your announcement. You said that after the voting at 2.30 p.m. on the Constitution Amendment Bill, we will take up further discussion on price rise and all that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, Half-an-Hour discussion.

SHRI P. UPENDRA : No, Madam. There are two other Bills--the President's Emoluments Bill and Salaries and Allowances of Officers of Parliament Bill. These are small Bills and it can be taken up after those Bills are passed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will pass the Bills without discussion.

THE CONSTITUTION (SIXTY-SIXTH AMENDMENT) BILL, 1990

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से से प्रस्ताव करता हूं कि "भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।"

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : आखिर आप बीच में लाइटली लेंगी तो कैसे चलेगा।

उपसभापति : मैं लाइटली नहीं ले रही हूं। चिट्ठी आ जाए तो मैं पढ़कर बता दूंगी। आपका जो दुःख है उस दुःख के निवारण के लिए जो भी करना पड़ेगा वह कर देंगे। आप बैठिए।

श्री राम अवधेश सिंह : आप गम्भीरता से नहीं लेती हैं। चेयर का अपमान हुआ तो सारा सदन एक हो गया और किसी मेम्बर के बारे में ऐसा सवाल उठे तो... **(व्यवधान)**

उपसभापति : राम अवधेश जी कृपया बैठ जाइये। जो आपका अपमान हुआ है उसके लिए जरूर कुछ तरीका निकालेंगे कि वे लोग माफी मांगें।

श्री राम अवधेश सिंह : प्रिविलेज कमेटी में ...

उपसभापति : अच्छा, प्रिविलेज कमेटी में दे देंगे, आप बैठिए।

श्री राम अवधेश सिंह : आपका जो सचिवालय है इनके मामले में मेरा अनुभव बहुत * है।

उपसभापति : ऐसा मत कहिए।

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Madam, you will have to expunge those words.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will expunge those words. दिन रात सेक्रेटेरिएट काम करता है। कई हमारे तरीके हैं। आपने जो प्रिविलेज का मोशन दिया है उसके बारे में चेयरमैन साहब ने चिट्ठी लिखकर भेजी है जिन लोगों के बारे में आपने कहा था। बगैर उनसे सफाई मांगे हुए कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। अब उनकी चिट्ठी आई है। आप जरा सुकून से सुनें। चिट्ठी आई है, चिट्ठी को देखकर मुझे यकीन है कि चेयरमैन साहब जरूर आपके इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द करेंगे। मैं स्वयं उसकी चेयरमैन हूं। जो मेम्बर हैं वे इस बात का ध्यान रखगे कि न सिर्फ इस हाउस बल्कि इस हाउस के हर एक मेम्बर की इज्जत का ख्याल रखा जाए और हाउस की गरिमा पर कोई आंच न आए। आप हमारे सेक्रेटेरिएट पर कुछ न कहिए। बैठिए।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, I want to bring to your notice an important thing. This is just agitating my mind in the last two, three days when it was raised and somehow it has not come out. This is about the accounts of the son of the Prime Minister. If I am wrong, clarification should come. One should be above board, and one should not live in suspicion. If any suspicion arises from a statement, it should be clarified. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not permitting anybody. I do not even know what you are saying. I will not give my verdict till I hear what you are saying. But what is it relating to ?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am only saying that there are certain reports about the accounts of the son of the Prime Minister. Let them be clarified. If there are no accounts, let them say so. About one account, they agree. But the reports are that there are a number of accounts. Let there be a clarification. Let us not live in illusion, on false illusion, on suspicion. If there are accounts, let there be a letter rogatory sent, and if there are no accounts, let the Government come and say that there are no accounts and that this is the information that they have. I want this clarification from the Prime Minister, from the Government, whether the information that we got from the Press is right or wrong. If it is wrong, okay. If it is right, what action is the Government going to take? Why should the people and even Members of Parliament be under false illusion, false reports. Let there be a clarification from the Government. That is all my request, Madam, through you.

*Expunged as ordered by the Chair.

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : महोदया, . . .

उपसभापति : अभी मंत्री जी बोल रहे हैं। I am not allowing anybody Please sit down. Let the Mantriji speak.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदया, यह विधेयक जिस पर विचार करने का अनुरोध किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सब माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जो जमीन का मामला है, वह बहुत ही पेचीदा होता रहा है और जैसे-जैसे समस्या उलझती गई है, वैसे-वैसे कानून भी बनते रहे हैं और यदि उन कानूनों के बनने के बाद भी . . . **(व्यवधान)**

श्री एन.के.पी. साल्वे (महाराष्ट्र) : मोशन मूव नहीं किया है।

उपसभापति : आपने मूव किया है।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : जी, हां, कर दिया है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. He has moved the motion. He is starting his speech now.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: जहां कहीं कोई गड़बड़ी हुई, तो उन्हें नौवीं सूची में शामिल किया गया है।

उपसभापति : ऐसा हुआ था कि यह मोशन मूव कर चुके थे, वहाँ से। इस बीच में दूसरे सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये।

एक माननीय सदस्य : क्या यह रिकार्ड पर आ गया है?

उपसभापति : हां, रिकार्ड पर आया है। I have already called his name. He has moved the motion. Two, three Members spoke in between.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदया, जब भूमि सुधार संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन में झगड़ा बढ़ता है, तो उस झगड़े के चलते उस कानून का सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। बहुत से कानून सामने चले आते हैं जब लोग फंडेमेंटल राइट्स के सवाल पर, मौलिक अधिकार की आड़ में हाई कोर्ट में चले जाते हैं और बेचारा जो गरीब है, वह चाहे बटाईदार हो, चाहे छोटा किसान हो, जब वह भूमि सुधार संबंधी कानून द्वारा कुछ लाभ उठाना चाहता है, तो इस कारण वह नहीं उठा पाता है, क्योंकि वह मामला हाई कोर्ट में चला जाता है और गरीब लड़ते-लड़ते घुटने टेक देता है।

नौवीं सूची में अब तक कई कानून शामिल किये जा चुके हैं। सब मिला कर 202 कानून शामिल किये जा चुके हैं, जिनमें 167 कानून भूमि संबंधी हैं और उनमें से कुछ भूमि सुधार संबंधी भी हैं, जिन पर विचार करने का अनुरोध है, वह 55 ऐसे कानून हैं। जिसमें हम इसे शामिल करना चाहते हैं। इन 55 कानूनों में जो 20 कानून हैं, वह आदिवासियों की जमीन कानून से संबंधित है। यह सब मिला कर टोटल 257 कानून हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल करने का जो प्रस्ताव है उनकी संख्या सिर्फ 55 है।

महोदया, यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है—लैंड टू द टिलर्स। महोदया, आप देखेंगी कि यह सवाल शुरू से ही रहा है। आजादी के प्रारंभिक दिनों से ही इस पर विचार होता रहा है। अगर

[श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा]

हम नागपुर के कांग्रेस सेशन के प्रस्तावों को देखें, आवड़ी कांग्रेस सेशन के प्रस्तावों को देखें तो ऐसा लगेगा कि उस समय से लोगों की यह चिन्ता रही है कि हम भूमि समस्या को किस तरह से हल करें। लेकिन आज तक यह सही मायनों में हल नहीं हो सकी। आज तक यह "लैंड टू द टिलर्स—जमीन जोतनेवालों के पास न जा सकी। हम जब भी सुविधा देना चाहते हैं, उस सुविधा में कानून के बने रहने पर भी अड़ंगेबाजी हो जाती है और मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो इन सब अड़ंगों, इन सब अड़चनों से निपटने के लिए ये जो 55 भूमि सुधार संबंधी कानून हैं जिसमें 20 आदिवासियों की जमीन से संबंधित हैं, इन 55 कानूनों को हम इस में शामिल करना चाहते हैं।

महोदया, हम यह बात नहीं कहते कि हम कोई नई चीज आप के सामने ला रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि कोई नई बात रख रहे हैं। हम इतना ही कहते हैं कि भूमि समस्या के समाधान के लिए भूमि संबंधी कानूनों में लोगों को सुविधा देने के लिए जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके, समय-समय पर कानून बनता रहा है और उसे 9वीं शेड्यूल्ड में शामिल किया जाता रहा है और पिछली कई बार यह शामिल किया गया है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो रास्ता बना है, उस रास्ते को थोड़ा और आगे ले जाएं। जो रास्ता है उस को थोड़ा और चौड़ा करें। हम प्रशस्त रास्ता चाहते हैं ताकि भूमि सुधार कानून सही मायनों में जमीन पर उतर सके। सिर्फ कागज पर ही न रह सके। अब तक जो कानून बना है, उस में बहुत दूर तक हमें सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस काम को आगे बढ़ायें जिस काम को सभी ने किया है चाहे विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों सभी ने किया है। सभी से इस काम को आगे बढ़ाने का अनुरोध है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस काम में हमारा साथ देंगे ताकि जो चीजें सामने आ रही हैं, जो खतरा सामने आ रहा है, जिस प्रकार से गांव अशांत हो रहा है, जिस प्रकार से गांवों में हिंसा बढ़ रही है, जिस प्रकार लोगों को यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी समस्या का समाधान बैलट के द्वारा नहीं होगा, तुम्हें बुलेट का सहारा लेना पड़ेगा। इन बातों को सामने रखकर हम इस प्रस्ताव को आपके सामने रख रहे हैं। इसे लोक सभा ने पारित किया है और मैं आपसे भी पूर्ण समर्थन चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि जो कुछ करें, पूरी तबियत से करें, पूरे मन से करें, आधे मन से कोई काम नहीं होना चाहिए, आधी तबियत से कोई काम नहीं होना चाहिए। अभी तक तो यही होता रहा है कि कुछ कर दिया कागज में, लेकिन अमल में नहीं हो सका। अमल में लाने के लिए, जो मुकदमे बाजी हो रही है, सारे देश में हजारों, लाखों की संख्या में जो मुकदमे चल रहे हैं और लंबित हैं, उन मुकदमों से निपटने के लिए मेरा यह प्रस्ताव है और मुझे विश्वास है कि आप तमाम लोग इस प्रस्ताव को पास करेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Prof. Chandresh P. Thakur for reference of the Constitution (Sixty-sixth) Amendment Bill, 1990, to a Select Committee of the Rajya Sabha. The Member may move the amendment at this stage without any speech.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): Madam, I move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members with instructions to report by the last day of the next Session of the Rajya Sabha:

1. Shri Raj Mohan Gandhi,
2. Shri V. Gopalsamy,
3. Smt. Kamla Sinha,
4. Shri Mahendra Prasad,
5. Dr. B. N. Pande,
6. Shri Dipen Ghosh,
7. Shri Hansraj Bhardwaj,

8. Smt. Renuka Chowdhury,
9. Miss Chandrika Premji Kenia,
10. Shri Gaj Singh,
11. Chowdhary Ram Sewak, and
12. Prof. Chandresh P. Thakur."

The questions were proposed

श्री माधव सिंह सोलंकी (गुजरात) : माननीय उपसभापति महोदया, यह जो विधेयक हमारे सामने पेश किया गया है, यह निहायत ही जरूरी था और यह विधेयक लाने के लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं यह भी साफ जाहिर करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और जनता फ्रंट के लोगों ने लेंड रिफार्मस के बारे में आज तक जो जाहिरात की है, जो देश के सामने पिक्चर दी कि सत्ता में आने के बाद लेंड रिफार्मस सिस्टम में और उसके इंपलीमेंटेशन से एक बड़ी क्रांति लाने वाले हैं और ऐसे कदम उठाने वाले हैं, जिससे भारत के लाखों-करोड़ों किसानों का मसला हल हो जायेगा, लेकिन जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, उससे लगा कि यह बिल तो कोई ऐसा बिल नहीं है, जिससे कुछ होने वाला हो। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले चालीस साल से इस देश में जो कार्यवाही चल रही है, उसका ही यह एक हिस्सा है।

उपसभापति महोदया, सन 1951 से, जब से हमारा कंस्टीट्यूशन बना है, तब से भूमिसुधार के सभी कानून नाईन्थ शेडयूल्ड में लगाये गये हैं और आज तक करीब 202 कानून इसमें शामिल कर ही दिये गये हैं। इसके अलावा जो बाकी रह गये थे, 55 के करीब, उनको भी इसी नाईन्थ शेड्यूल्ड में शामिल करने के लिये आपका यह विधेयक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक नाईन्थ शेड्यूल्ड में शामिल करने से कोई मसला हल हो जायेगा? अभी जैसा मंत्री जी ने बताया कि फंडामेंटल राईट के नाम पर यह चेंजेंज नहीं हो सकेगा, लेकिन मंत्री जी, आपको याद होगा कि आर्टिकल 31(बी) के बाद जब केशवानन्द का डिसीजन आया, तब से यह साफ हो गया है कि नाईन्थ शेड्यूल्ड में बिल रखने के बाद भी अगर बेसिक स्ट्रक्चर आफ कंस्टीट्यूशन चेलेंज होता है तो यह बिल भी चेलेंज हो सकता है, इस को ऐसी कोई इम्युनिटी या प्रोटेक्शन नहीं मिला, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि इतना तो प्रोटेशन होना चाहिये कि कोई कोर्ट में जाकर चेलेंज न करे। असली चीज जो करने की जरूरत है, वह है इस देश में भूमि-सुधार के लिये जो कानून नाईन्थ शेड्यूल्ड में लगाये गये हैं, उनका इंपलीमेंटेशन करना।

[उपसभाध्यक्ष (श्री एम. ए. बेबी) पीठासीन हुये]।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि पिछले सालों में जो कुछ नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि इस देश में भूमि सुधार कानून कांग्रेस गवर्नमेंट लाई है और कांग्रेस की यह पालिसी पहले से रही है कि जब भारत की 70 फीसदी आबादी देहातों में रहती है, खेती से जिसका निर्वाह होता है जहां लेंडलोर्ड और टेनेण्ट के रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुये हैं, टेनेण्ट को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, मिडिलमेन टेनेण्ट को एक्सप्लायट करते हैं तो इनकेटलेंड रिफार्म निहायत जरूरी है। इसलिये स्वराज्य मिलने से पहले कांग्रेस ने डा. कुमारप्पा की लेंड-रिफार्म पेनल की कमेटी बनाई थी और जिन्होंने यह बताया था कि भारत में भूमि सुधार के लिये सबसे पहले लेंड टू टिलर की पालिसी अपनानी चाहिये, इंटरमीडिएटर्स को नेस्तनाबूद करना चाहिये और जो छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन बंट गई है, उसका कंसोलेशन होना चाहिये। कोई भी किसान या लेंड लोर्ड अनलिमिटेड एमाउंट की जमीन अपने पास रखकर दूसरों को लेबरर बनाये और उसको एक्सप्लायट करे, ऐसी परिस्थिति न हो और इसलिये जमीन के ऊपर सीलिंग लगा देनी चाहिये। इन चारों पालिसी का डिसीजन कांग्रेस गवर्नमेंट ने 40 साल पहले लिया है

[श्री माधव सिंह सोलंकी]

और लेती रही है। यही वजह है कि आज हमारे देश में किसानों का जो प्रोटेक्शन हुआ है, उनको जो अधिकार मिले हैं, वे कांग्रेस की नीतियों की वजह से मिले हैं। अलबत्ता, इसके इंपलीमेंटेशन में जरूर खामियां रही हैं, हाफ हार्टेडनेस भी रही है, कांग्रेस की सरकारों में भी ऐसी हाफ-हार्टेडनेस रही है, मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं देना चाहता। लेकिन देश की आज हालत यह है कि हमारे देश में 75 परसेंट किसानों के पास, इस देश में जिन किसानों की मेजारिटी है, उनके पास जमीन है 26 परसेंट और 11 परसेंट जो किसान हैं बड़े किसान हैं, आधी से ज्यादा जमीन उनके पास है और इनका एक्सप्लाटेशन चलता रहा। हम सीलिंग के लॉ लाये, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाये। लोगों ने अपने नाम पर, अपनी फैमिली के मैम्बर्स के नाम पर, औरों के नाम पर हजार-हजार, दो-दो हजार बीघा जमीन आज भी रखी हुई है। इसे ठीक करने या सुधारने के लिये यह गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, यह मैं जानना चाहूंगा?

मैं जानता हूं कि लैंड रिफार्म स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट का सब्जेक्ट होते हुये भी पिछले दिनों में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थीं, हिन्दुस्तान के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया था, उनको गाइड लाइन दी थीं, बिल भी दिया था उनको तैयार करके और बिल के आधार पर हिन्दुस्तान में लैंड रिफार्म के कानून हुये हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो सके इसके लिये मानिटरिंग की पद्धति भी चालू रखी थी। आज तो कुछ दिखाई नहीं देता है। आज जनता गवर्नमेंट की पालिसी लैंड रिफार्म के बारे में क्या है, वह भी समझ में नहीं आता है? अभी आज ही हमको प्राइम मिनिस्टर का एक सरक्यूलर लैटर मिला है, जिसमें पिछले दिनों में जनता गवर्नमेंट ने क्या सिद्धियां पाई हैं, उसका बयान दिया गया है। यह प्राइम मिनिस्टर के लेटर के पैराग्राफ 3 में ऐसा लिखा गया है कि :-

"Laws relating to land reforms are being brought under the Ninth Schedule to provide the necessary constitutional safeguards to them and enable their speedier implementation."

सेफगार्ड तो मिल गया 9वें शैडयूल में लाने के लिये, स्पीडियर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है? 9वें शडयूल में आ गया, इसलिये स्पीडियर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। वह तो हर एक स्टेट को और स्टेट की गवर्नमेंट को लैंड रिफार्म को इम्प्लीमेंट करने के लिये स्पीड लानी चाहिये और आनेस्टी से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिये। यह करने के लिये इनके पास क्या है, यह भी मेरी समझ में नहीं आता है?

अभी जनता फ्रंट गवर्नमेंट ने 8वें प्लान का एप्रोच पेपर भी सदन के सामने पेश किया है। हमने कोशिश की है कि 8वें प्लान में जनता फ्रंट गवर्नमेंट लैंड रिफार्म के बारे में क्या करना चाहती है? लेकिन जो एक पैराग्राफ दिया है, 21, इसमें एन्युमरेट करने के लिये कोई एप्रोच भी नहीं दी गई, कोई डायरेक्शन भी नहीं है। लैंड रिफार्म कैसे करना चाहते हैं? गरीब किसानों के पास से जमीन चली न जाय, इसके लिये क्या प्रोटेक्शन देना चाहते हैं? आज सारे देश में, हिन्दुस्तान में, हर एक स्टेट में रिकार्ड आफ राइटस भी कम्पलीट नहीं हैं, जो है वह भी ठीक नहीं दिया गया है। जहां तक रिकार्ड आफ रेट्स में किसान का हिस्सा वगैरह देने की बात है, उसको आप प्रोटेक्शन कैसे देने वाले हैं?, दूसरी एक आम चिंता की बात तो यह है कि एक तिहाई जमीन हिन्दुस्तान में कंसील्ड टैनेंसी के नीचे है। ओरल टैनेंसी क्रिएट की जाती है और वह रिकार्ड नहीं होती है। उस जमीन पर मालिक की मुसिफी के आधार पर किसान खेती करता है और बाद में उसको निकाल दिया जाता है। लैंड रिफार्म का कोई फायदा उसको मिलता नहीं है। उस कंसील्ड टैनेंसी को रिकार्ड पर लाने के लिये जनता फ्रंट की गवर्नमेंट क्या करना

चाहती है, उसका भी कोई निर्देश इसमें नहीं है । रिकार्ड अप-टु-डेट करने के लिये क्या करना चाहते हैं, इसका भी कोई प्रावधान नहीं बताया गया है । एक बात बताई गई है कि कमीशन हमने बिठाया है, एक कमीशन हमने बनाया है जो सब चीजों को एक्जामिन करके गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा लेकिन टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है । अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो बहुत से किसान भूमिहीन हो जायेंगे, यही मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

महोदय, कुछ स्टेटों में जनता फ्रंट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें लैंड रिफार्म का विरोध करने वाले लोग लीडर हैं, वह चाहते नहीं है कि लैंड रिफार्म अच्छी तरह से इस देश में इम्प्लीमेंट किया जाय या छोटे और गरीब किसानों को प्रोटेक्शन दिया जाय। इसलिये आज गरीब किसानों के हाथ से जमीन निकलकर नान एग्रीकल्चरिस्ट लोगों के पास जा रही है ।

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): They are all in the Congress Party. If you yield for a minute, I will be able to make my point. My point is that for the last four decades, in most of the States, the Congress party was the ruling party and the Chief Ministers were the Congress party. Chief Ministers and they had failed to implement land reforms with all sincerity because there is a strong, powerful, lobby inside the Congress for the landlords to see that the land reform legislations are not properly implemented.

SHRI M. M. JACOB (Kerala): They are now members of the ruling party.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: I am only saying what is historically true.

SHRI MADHAVSINH SOLANKI: There is a lot of substance in what the hon. Member says. Even in the Congress party there had been vested interests who had not been in favour of land reforms. But it was the Congress Governments in this country which brought land reforms and gave right to the farmers. It attempted and it was successful. In many places the tillers have become the owners and occupants of the land. But it is an unfortunate blot on this country that those people, those leaders, who were there in the formation of the Independence Movement, when Independence was achieved, when the Congress brought in the policy of land reforms for implementation, left the Congress because they were affected, and formed either the Swatantra party or other parties which would protect the interests of big land owners. And a majority of those members are unfortunately found in the Janata Front today. I do not blame them. If the Janata Front is very sincere about what it professes, in its manifesto as well as in the letter written by the Prime Minister yesterday, it should implement the reforms and provide real protection to the small people who are devoid of that protection.

श्री जय प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : आप हिन्दी में बहुत अच्छा बोल रहे थे ।

श्री माधव सिंह सोलंकी : वह अंग्रेजी में बोले, इसलिये मैं भी अंग्रेजी में बोला ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): The present amendment could not be brought by the Congress though they were there all along. The Congress-I Governments have been responsible for largely avoiding the implementation.

SHRI MADHAVSINH SOLANKI: Sir, you are mistaken. The Congress-I brought 202 pieces of legislations including the Ninth Schedule.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: They have not been implemented by Congress-I State Governments.

SHRI MADHAVSINH SOLANKI: That is precisely what I wanted to say. The Congress implemented. But, as the hon. Member says, there were lacunae and even in Congress-I there are members who are not convinced about or committed to land reforms. But the Congress policy remains and the policy will be taken to its proper conclusion.

माननीय उपसभाध्यक्ष जो, हमारे देश में जो लैंडलेस लेबरर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, वह भी एक चिंता का विषय है, जिसके पास जमीन है वह उस पर खेती करने वाला नहीं है। ऐसे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पास जमीन केन्द्रित होती जा रही है। Doctors, lawyers, businessmen and industrialists are purchasing land from poor people at high prices.

इनके साथ से जमीन चली जाती है। उसको प्रोटेक्शन देने के लिये कुछ अरेंजमेंट्स यह गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट की पावर्स तो नहीं है लेकिन जहां इनकी अपनी गवर्नमेंटस हैं वहां वह कुछ ऐसा अरेंजमेंट् करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सवाल को अगर हल करना है तो चार चीजें करनी चाहिये। सबसे पहले तो जनता फ्रंट गवर्नमेंट की पोलिटिकल विल होनी चाहिये कि अपने दल के अन्दर जो भी अपोज़ीशन हो– But if they are committed to the poor people and farmers in this country, they should be prepared to undertake legislation and implement it very honestly.

दूसरा यह है कि जैसा मैंने बताया कि 75 परसेंट किसान एक हैक्टेयर से दो हैक्टेयर जमीन धारण करने वाले हैं। इस देश के 75 परसेंट किसानों के पास एक-दो हैक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है और वह अनपढ़ भी हैं, कानून के जानकार भी नहीं है। उनको आर्गेनाइज किया जाय। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को आर्गेनाइज किया जाय ताकि वे अपने हक को समझ सकें और उसको प्राप्त करने के लिये आन्दोलन भी चला सकें। तीसरा, जो कंसील्ड टैनेंसी को आप रिकार्ड पर लायेंगे, रिकार्ड अप टूडेट बनायेंगे। अब तक नयी मैथड ही नहीं किये, कंप्यूटर हैं और चीजें हैं जिससे बैकवार्ड आफ राईट्स अपटूडेट बनाया जा सकता है और जो सही खेती करने वाले को ही रिकार्ड पर लाया जाये। इसके लिये विलेज की कमेटियां भी बनायी जा सकती हैं, जो जानते है खेत बोने वाला कौन है और इनको इन्पुट दिया जाये। आपने यह प्रोमिस दिया कि जो पुराना डेब्ट है वह हम माफ कर देंगे। पुराना डेब्ट माफ होने से खेती आगे बढ़ने वाली नहीं है। खेती करने के लिये इन्पुट्स चाहिये और वह देने की व्यवस्था आप जरूर कर सकते हैं और मैं दूसरा भी एक सुझाव रखूंगा कि आर्टिकल–32बी आफ दी कंस्टीट्यूशन में ऐसा प्रोविजन बनाया गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो लैंड रिफोर्मर्स के डिस्प्यूट के लिये स्पेशल कोर्ट्स भी बना सकती है। अगर स्पेशल कोर्ट्स बनायी जाये तो आज हमारी जनरल कोर्ट्स में दो साल, पांच साल, दस-दस साल तक लिटिगेशंस चलते रहते हैं। गरीब किसान इसके लिये वकील की फीस भी नहीं दे सकते हैं और आखिर में उसको जमीन भी गंवानी पड़ती है। इसके बजाय स्पेशल कोर्ट अगर होगी तो यह काम जल्दी निबट सकेगा। इस सुझाव के साथ मंत्री जी यह जो विधेयक लाये हैं मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, 66वां संविधान

संशोधन विधेयक जिसे माननीय वर्मा जी ने सरकार की ओर से इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं इसका समर्थन करता हूं। महोदय, संविधान की धारा 21बी में जो प्रावधान है उसके अनुसार नवीं सूची में जिन कानूनों को सम्मिलित कर दिया जाता है उनका एक प्रकार से संरक्षण हो जाता है कि उन उन को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके पूर्व 202 कानून सम्मिलित किये जा चुके थे और सरकार अब 55 कानूनों को इस नवीं सूची में शामिल करने जा रही है, इसलिये माननीय मंत्री और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बधाई की पात्र है।

मान्यवर, इस देश में जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है वह भूमि-विवाद की है। माननीय माधवसिंह सोलंकी जी का भाषण मैं बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रयास किया भूमि सुधार के लिये। लेकिन नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं श्री माधवसिंह सोलंकी जी की बातों से सहमत नहीं हूं। 42 साल, 43 साल शासन रहा इनका। इनकी कभी नीयत नहीं रही है भूमि सुधार के लिये और अगर नीयत रही है इस पार्टी के अन्दर तो केवल एक व्यक्ति की नीयत थी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, जब वे उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उन्होंने जमींदारी इवैल्यूशन... (व्यवधान)

एक सम्मानित सदस्य : वह कांग्रेस नहीं थी, वह गांधी जी वाली कांग्रेस थी।

श्री ईश दत्त यादव : सुनिये, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बनाने के लिये जब मसौदा तैयार कराया तो उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री जो कांग्रेस के थे उन्होंने इसका विरोध किया था कुछ बड़े लैंड लार्डस के दबाव के कारण, जो मेरी जानकारी है और जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने त्याग-पत्र की पेशकश की, पार्टी से हटने की पेशकश की तब शायद जाकर के किसी तरह से मामला हल हुआ और उत्तर प्रदेश के अन्दर जमींदारी इवैल्यूशन एक्ट पास किया गया और टिलर आफ सोयल जो थे जिसकी जोत में जितनी भूमि थी वह उस भूमि का स्वामी बना दिया गया उत्तर प्रदेश के अन्दर और इस तरह का पूरे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश जैसा कोई कानून मेरी जानकारी में नहीं है कि टिलर आफ दि सोयल को उसका स्वामी बना दिया गया।

एक सम्मानित सदस्य : गुजरात का कानून नहीं पढ़ा आपने।

श्री ईश दत्त यादव : हमने सब पढ़ा है, आपको और पढ़ा रहा हूं। महोदय चौधरी चरण सिंह जी इससे आगे बढ़कर भी भूमि सुधार का कानून लागू करना चाहते थे। जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सम्भवतः 1954 में इस देश के नेता तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोआपरेटिव फार्मिंग का प्रस्ताव वहां रखा था और चौधरी चरण सिंह ने इसका विरोध किया था। बाद में चल कर चौधरी चरण सिंह ने दो पुस्तकें लिखीं--'कोआपरेटिव फार्मिंग एक्सरेड' और दूसरी, 'पावर्टी आफ इंडिया एंड इट्स सोल्यूशन'। तभी यह नौबत आयी थी कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को उस पार्टी को छोड़ना पड़ा। यह मैं इस अभिप्राय से कह रहा हूं कि 42-43 वर्षों में कांग्रेस के लोगों की कोई नीयत नहीं थी। अगर भूमि सुधार कानून लागू हुआ तो केवल उत्तर प्रदेश के अन्दर लागू हुआ और उसको लागू करने वाले चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने कांग्रेस की विचार-धारा से हटकर अपनी विचारधारा से लागू किया। माननीय सोलंकी की इस बात से सहमत हूं कि इस देश में बड़े-बड़े लैंड-लार्ड्स हैं। 400, 400 एकड़ जमीन लोगों के पास है। उत्तर प्रदेश में मंगलदेव विशारद एक कमीशन बैठा था। वह लोक सभा के सदस्य थे अब नहीं हैं। विद्वान आदमी थे और अनुसूचित जाति के उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया। जमीनों का ब्यौरा लिया कि किस के पास कितनी जमीन है और

[श्री ईश दत्त यादव]

उन्होंने अपने कमीशन को जो रिपोर्ट दी उसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर लोग बड़े-बड़े फार्म वाले हैं और कुत्ते-बिल्लों के नाम पर ट्रस्ट बनाये हुए हैं। इनसे जमीन ले लेनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं . . . (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय सदस्य ने विशारद कमीशन की रिपोर्ट की बात की है। विशारद कमीशन की रिपोर्ट पर मेरी बात भी सुन लें। आप परिगत सदस्य हैं और मेरी जिज्ञासा का समाधान अवश्य करेंगे इस ख्याल से उपसभाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति चाहता हूं बोलने की। विशारद कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री कांग्रेस के विश्वनाथ प्रताप सिंह जो वर्तमान में भारत के प्रधान मंत्री हैं, इन्होंने दो ट्रस्ट बनाये थे—एक, राम-जानकी ट्रस्ट और दूसरा, दहिया ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्टों के माध्यम से काई हजार एकड़ जमीन नाजायज ढंग से कब्जे में की है और आज तक विशारद बड़े ईमानदार विधायकों में माने जाते हैं। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। आज तक प्रधान मंत्री होने के बावजूद भी विश्वनाथ प्रताप सिंह पर जो लैंड ग्रेबिंग का आरोप विशारद कमीशन ने उत्तर प्रदेश में लगाया था उसका स्पष्टीकरण नहीं दे सके। (व्यवधान)

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, I am on a point of order. Whatever happened in the State Legislature cannot be discussed here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): He has made only a reference to it.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैं जानना चाहूंगा कि क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी सारी जमीन दोनों ट्रस्टों की जो नाजायज ढंग से कब्जा किए हुए हैं उसको दान करेंगे या गरीबों में वितरित करेंगे? मैं इतना ही माननीय सदस्य से और मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री ईशदत्त यादव: पांडे जी जो बात कह रहे हैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं . .

डा० रत्नाकर पांडे: हकीकत है या नहीं यह बता दें।

श्री ईशदत्त यादव: हकीकत नहीं है। आपके माध्यम से श्री पांडे जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं, उनको स्मरण ही होगा कि मंगलदेव विशारद समिति ने यह रिपोर्ट दी थी कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता जो वाराणसी के और पांडे जी के पास के रहने वाले हैं उनके पास इस तरह की बहुत ज्यादा जमीन है।

मैं चाहता हूं कि इस देश में भूमि सुधारों को सही मायने में लागू किया जाये। सीलिंग के कानून बनाये गये और संभवतः 1950 से 1960 तक कोशिश की गई सीलिंग एक्ट बनाने के लिए। 1972 में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस तरह के निर्देश भी दिये कि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत कड़ाई से कार्यवाही की जाय और भूमि निकाल कर भूमिहीनों के बीच वितरित की जाय, लेकिन यह कानून आज तक सही मायनों में लागू नहीं हो सका। इस कानून के अन्दर जमीन निकाली नहीं जा सकी और जो जमीन निकाली गई वह लोगों में वितरित नहीं की जा सकी। इसलिए मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहीत करके उसको भूमिहीन लोगों और लेण्डलैस लोगों के बीच में वितरित करने के लिए आवश्यक और कड़ी कार्यवाही करे, तभी जो बड़े-बड़े बिग फार्म वाले लोग हैं उनकी भूमि की सीमा निर्धारित की जा सकती है और देश के अन्दर जो भूमि की कमी वाले लोग हैं। उनके पास भूमि हो सकती है

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर कंसोलीडेशन आफ होल्डिंग एक्ट लागू करने के लिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में है, कार्यवाही की जानी चाहिए और इसके अन्दर देश के किसानों का हित हो सकता है और उनकी जो जमीन टुकड़ों में इधर-उधर रहती

है वह एक जगह इकट्ठी हो सकती है और उसका सार्वजनिक उपयोग के लिए और गांव के उपयोग के लिए प्रयोग हो सकता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को निर्देश दे कि सीलिंग एक्ट का कड़ाई से पालन किया जाय और साथ-साथ हर प्रदेश को सरकार अपने प्रदेश में उत्तर प्रदेश की भांति कंसोलीडेशन एक्ट बनाये और उनको लागू करे। इस तरह के जो एक्ट बनें, भूमि संबंधी एक्ट बने, उन सबको नवीं सूची में सम्मिलित कर लिया जाये। आज तक भूमि सुधारों के जितने भी कानून बने, चाहे पिछली सरकार ने किये हो चाहे हमारी वर्तमान सरकार प्रयास कर रही हो उसमें केवल कृषि संबंधी भूमि के संबन्ध में सारे के सारे कानून बनाये जा रहे हैं। केवल दो तरह की सम्पत्ति इस देश में बढ़ती जा रही है। एक तो इंडस्ट्री और कल-कारखानों की और दूसरी शहरी सम्पत्ति। मैं चाहता हूं कि शहरी सम्पत्ति के लिए भी सीलिंग का कानून बनाया जाये और उसका कड़ाई से पालन किया जाये। लोगों के पास सैकड़ों मकान और इंडस्ट्रीज हैं। देश के अन्दर आर्थिक विषमता बढ़ने का सबसे मूल कारण यह है कि देश के अन्दर शहरी सम्पत्ति और कारखानों के लिए आज तक कड़ाई से कोई कानून नहीं बनाया गया है। जिस व्यक्ति के पास कल-कारखानें हैं उसके भरण-पोषण के अलावा जो अन्य कारखानें हैं वे सारे जब्त कर लिये जायें। मकानों के अधिग्रहण के लिए सख्त कानून बनाया जाय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उसने जो अपने घोषणा-पत्र में कहा है उसके मुताबिक देश के अन्दर आर्थिक विषमता मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाये और अतिरिक्त शहरी सम्पत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कानून बनाया जाये और इस प्रकार से आर्थिक विषमता को मिटाया जाये। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो छियासठवां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक के संदर्भ में यहां चर्चा कर रहे हैं। उस समय मुझे थोड़ा अफसोस हुआ जब हमारे साथी आदरणीय यादव जी ने कुछ तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि सही मायनों में और सच्चाई में अगर गरीबों के मसीहा और जमींदारों के दुश्मन और वे लोग जो खेती करते थे, उनको खेतों पर कब्जा दिलाने वाला अगर कोई पुरुष भारत के इतिहास में हुआ है तो वह पंडित जवाहर लाल नेहरू हुये हैं, जिन्होंने 1940 में ही डा० कमरप्पा जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति को यह कार्य दिया गया था कि वह जमींदारों, जो कि सही मायनों में बिचौलिये उस समय कहलाते थे, जो न सिर्फ इन गरीब किसानों का खून पीते थे, जो कि रात दिन मेहनत करते थे, इनको किस तरह-तरह से इनके बीच में से हटाया जाय ताकि सीधे-सीधे उस खेत का लाभ उस व्यक्ति को मिले जो उस पर मेहनत करता है और फसल पैदा करता है। वे न केवल यहां तक सीमित रहे बल्कि संविधान संशोधन भी इसी बात के लिये लाया गया था और 1951 में यह जो हम आज काम करने जा रहे हैं, उसी तरह से नाइंथ शैडयूल में जो राज्यों द्वारा कानून बनाये गये उनकी एंट्री के लिये भी पहला संविधान संशोधन 1951 में पंडित जी की प्रेरणा से हुआ था। मैं चरण सिंह के प्रति कोई असम्मान प्रकट करना नहीं चाहता हूं। लेकिन सच्चाई अपनी जगह कायम है और उसको कोई नहीं बदल सकता है और न हमारे साथी आदरणीय यादव जी बदल सकते हैं। पंडित जी ने अपने संविधान संशोधन के माध्यम से इनको कानूनी संरक्षण प्रदान किया जो कानून राज्यों द्वारा बनाये गये थे। आदरणीय इंदिरा जी उनमें भी एक कदम आगे बढ़ीं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इंदिरा जी ने सबसे पहले राइट टु प्रापर्टी पर अटैक किया और उसको समाप्त किया। केवल इतना ही नहीं

[श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर]

इंदिरा जी ने संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, उनकी ताकत को बढ़ाया और उस समय मूल अधिकारों पर प्रहार करने से भी नहीं चूक । जो यह अधिकार यह कहते थे कि सब को बराबरी का दर्जा मिले लेकिन उससे हरिजन और आदिवासियों का शोषण होता था । निदेशक तत्वों की ताकत इंदिरा जी ने बढ़ाई । 25वें संशोधन के द्वारा, जो 1971 में पास हुआ और 20-4-72 से लागू हुआ । इन एतिहासिक पुरुषों ने अपने इच्छा, कांग्रेस पार्टी की इच्छा को स्वीकार करते हुये भारत के इन लाखों करोड़ गरीब किसानों को जो सही मायनों में रात और दिन मेहनत करते थे, खेतों में मेहनत करते थे उनको कानूनी संरक्षण प्रदान किया । आज भी हम जो यह 55वीं एंट्री नाइंथ शैडयूल में करने जा रहे हैं, इस विधेयक के माध्यम से, मैं इसके लिये सरकार को बधाई दूंगा । लेकिन मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी तरह का राजनैतिक लाभ आपकी पार्टी इस संविधान संशोधन के माध्यम से लेना चाहती है तो वह लाभ शायद आपको नहीं मिल पायेगा क्योंकि ये सारे कानून उन सरकारों के द्वारा बनाये गये हैं, उन राज्यों के द्वारा बनाये गये हैं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं । इसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं । यह कोई बहुत बड़ा काम आप अपनी ओर से नहीं करने जा रहे हैं । अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और इसमें आपको आमंत्रित करते हैं । इस देश के लाखों करोड़ों किसान आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि आप यह जरूर करें, यह बहुत बड़ा काम होगा अगर आप इन कानूनों को सख्ती

1 PM से कार्यान्वित करें । हमें उम्मीद कम है, जैसे पांडेय जी ने अभी कहा कि दाहिया ट्रस्ट और रामजानकी ट्रस्ट के मालिकों की इच्छा कभी उस बारे में इस देश की जनता के सामने खुलासा करने की नहीं हुई । वे और उनके अनुयायी जो सरकार में बैठे हुये हैं, इन कामों को इन कानूनों को कैसे लागू कर पायेंगे इस बात की शंका हमारे मन में आज भी विद्यमान है और वह शंका तभी दूर होगी जब आप हरिजन, गिरिजन, आदिवासी और जिनके पास खेती नहीं है, जो गरीब हैं उनके संरक्षण के लिये सारी जो आपकी मर्यादायें हैं चाहे वे आपकी सामंतशाही की मर्यादायें हों चाहे जाति की मर्यादायें हों, चाहे पार्टी की मर्यादायें हों या और किसी दूसरी प्रकार की मर्यादायें हों, उनको भंग करके आगे आयेंगे तभी हमारे मन में विश्वास होगा कि आप अब निश्चित रूप से इन कानूनों का सही मायनों में क्रियान्वयन कर पायेंगे । आपकी बिल कानू बनाने में कितनी रही है यह मार्च 1977 से दिसम्बर 1980 में क्लियर हो जाता है । जो उस समय मंत्री थे काफी लोग अभी भी हैं इस सरकार में, उस पूरे समय में कोई इस प्रकार का कानून, कोई पहल इस दिशा में आपने नहीं की, यह तो रिकार्ड से पता लगता है ।

मेरा एक प्रश्न है । चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है और सर्वाधिक देश की जनता इस कानून से प्रभावित होने वाली है और हो रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व क्या उन्होंने किसी प्रकार की-- क्योंकि जो विधेयक-पत्र प्रसारित किया गया है उससे लगता है कि काफी पुराने कानूनों को भी इसमें एन्ट्री देने जा रहे हैं— ऐसी कोई पुनरीक्षण समिति बनाई और इस बात की जांच कराई कि वे सारे कानून क्या आज भी सामयिक हैं, उचित हैं । यह बताने की कृपा करें और अगर नहीं जांच कराई गई तो क्यों नहीं कराई गई क्योंकि जिसका ढिंढोरा बहुत पीटा जा रहा है कि भूमि-सुधार कानून लाया जा रहा है इसका श्रेय आपकी सरकार, आपकी पार्टी और जो दूसरी पार्टिय आपके साथ हैं उनको तभी मिल सकता है जब आपने इस पर विचार किया होता । यह तो आपने सिम्पली जो कानून राज्यों ने बनाये थे उनको बिना कोई पुनरीक्षण किये, 9वें शैड्यूल में एन्टर करने का एक छोटा सा काम किया है ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन किसानों की ओर जो अनपढ़ होते हैं, जिनको नक्शे की भाषा पढ़ने की क्षमता नहीं होती और उस अनपढ़ी का फायदा जब राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उठाया जाता है और उसके माध्यम से उनका शोषण किया जाता है तो इस पर आप किस प्रकार से रोक लगाने जा रहे हैं, कृपया जब मंत्री जी अपना जवाब दें तो इसका स्पष्टीकरण दें। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो किसान हमारा है वह बे-पढ़ा लिखा है और जो पढ़े लिखे हैं वे सही मायनों में किसान नहीं हैं जैसा कि सोलंकी जी ने कहा कि वे किसान होने के हकदार भी नहीं हैं। सही मायनो में अगर किसान की परिभाषा में कोई व्यक्ति आता है तो जो बे-पढ़ा लिखा ग्रामीण जन है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह है। उसका शोषण आज भी होता है। पटवारी से लेकर क्लेक्टर तक और ऊपर भी उसका शोषण करते हैं। तो उस शोषण को जो उनके अनपढ़ होने के कारण किया जाता है उसको आप किस प्रकार से रोकने जा रहे हैं।

नक्शे जो बने हुए हैं वे वर्षों पुराने बने हुए हैं क्या आप नई तकनीकी के आधार पर नये तरीके से उन्हें बनाने जा रहे हैं और क्या आप स्टेट गवर्नमेंट्स को इस बात के लिए आदेशित करेंगे, निर्देशित करेंगे कि नये प्रकार से एक नये सिरे से पूरी भूमि का सर्वे करवायें क्योंकि जो पुराने सर्वे हैं वे अब असामयिक हो गये हैं तो मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया—क्योंकि यह साईंस का युग है, तकनीकी हमारे पास बहुत आ चुकी हैं। माना कि किसान उन तकनीकों के बारे में नहीं जानता, लेकिन हमारा, आपका दायित्व, कर्तव्य है कि हम उन टैक्नालोजीज़ का फायदा उस किसान के पास पहुंचायें, जो सही माने में इसका पहले हकदार है।

उन टैक्नालोजीज़ के माध्यम से क्या कोई फूलप्रूफ गारंटी योजना आप उनके बीच में देना चाहते हैं, जिससे कि वह छोटी-छोटी चीजों के लिए-- (**समय की घंटी**) जो लोग गांव से आते हैं, जिनका खेती-बाड़ी का ही बैकग्राउन्ड है, वह इस बात को जानते हैं कि छोटे से अगर दाखिल-खारिज का भी उसका अगर कोई कागज बनवाना है, बाप के चार बेटे हैं और उनका अगर बंटवारा होना है, तो इसके लिए भी उनको कई बार आपनी पूरी जायदाद लगा देनी पड़ती है। यह उसका कानूनी हक है, लेकिन उसको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की मुश्किलों को दूर करने के लिए क्या इस प्रकार की कोई योजना आप बनायेंगे?

दूसरा, मेरा फारेस्ट लैंड के संदर्भ में बिंदु है। लाखों किसान ऐसे हैं, जिन्होंने वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया हुआ है और उनमें मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं जिसके बारे में मैं ज्यादा जानता हूं, तो वह हरिजन, आदिवासी ज्यादा हैं। हरिजन, आदिवासियों के संरक्षण के लिए कल हमने एक विधेयक पास किया है। उसका सही माने में मतलब तब निकलेगा, जब आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि फारेस्ट एक्ट, 1980 में पास हुआ था, उसके बाद भी—क्योंकि उसके बाद भी भूमि फारेस्ट की है और कोई काबिज अगर उस पर है, तो उसके पट्टे अब राज्य की सरकारें बना कर नहीं दे रही हैं।

तो क्या आप इसमें रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि कई लोगों के पट्टे इसलिए नहीं बन पाये थे कि वहां उन अधिकारियों को खिलाने-पिलाने की व्यवस्था उन गरीब किसानों के पास नहीं थी और न ही उनको इस प्रकार की जानकारी थी। जब उनको मालूम हुआ, तो समय सीमा निकल चुकी थी।

तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि जो प्रदेशों में फारेस्ट लैंड पर जिनका कब्जा है, जो खेती-बाड़ी करते आ रहे हैं, और रेवेन्यु सरकार के पास भले ही नहीं जाता, लेकिन रेवेन्यु अधिकारियों के

[श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर]

पास, उनके द्वारा जबर पहुंच जाता है। (समय की घंटी) उस पर रोक लगाने के लिए क्या कोई रिलैक्सेशन पालिसी में, कानून में देंगे ?

चीस-सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से भूमि का आवंटन हुआ, पर जो गांव की समस्या है, वह मैं आपकी नालेज में लाना चाहता हूं। उसके तहत अभी जो कानून है, उसके अनुसार साढ़े सात प्रतिशत गांव की जमीन निस्तार के लिए सुरक्षित रखी जाती है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, तो गांव में कोई जमीन निस्तार की बची नहीं है। उस सारी जमीन पर कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार से अतिक्रमण कर चुका है, वह काबिज हो चुका है और बाकायदा उसमें खेती कर रहा है, क्योंकि यह एक व्यावहारिक मुद्दा है।

मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि क्या आप इस पर विचार करेंगे कि उस जमीन का आवंटन उनको कर दिया जाए और जिस कारण से, क्योंकि कारण उसमें यह था कि गांव के जो मवेशी होते हैं, उनको चराने के लिए जगह चाहिए और दूसरे इकोलाजिकल बैलेंस बना रहे, इनविरनमेंटल प्राब्लम खड़ी न हो। तो उसमें एक सुझाव मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उस पर विचार करेंगे कि हरेक किसान को ऐसे निर्देश दिये जाएं कि उसकी अपनी जमीन में कुछ प्रतिशत वह इस काम के लिए सुरक्षित रखे, ताकि इकोलाजिकल बैलेंस और पर्यावरण पर कोई विपरीत असर, उस निस्तारी जमीन के आवंटन के बाद भी, नहीं पड़े। (समय की घंटी) मैं कनक्लूड ही कर रहा हूं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह हरिजन, आदिवासी भाइयों से संबंधित है। हरिजन, आदिवासी भाइयों की हकीकत में आज गांव में दिक्कत यह है उनके पास न रहने का कोई मकान है और न ही सुबह उठ कर शौच करने को कोई जगह बची है। अतिक्रमण गांव में इस प्रकार से काबिज हो चुके हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि यह नियम है कि उनको मकान दिया जाए, या प्लाट दिया जाए, लेकिन मैं जो बात असल में है, वह यह है कि उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। (समय की घंटी) तो जब उसके कार्यान्वयन में जायेंगे, तो क्या वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनको जो मकान या प्लाट दिये जाते हैं, वह कम से कम इतने बड़े दिये जायें कि वह अपने पूरे परिवार के साथ उसमें रह सकें, ऐसा नहीं हो कि एक मकान हम उन्हें इतना छोटा दे दें या एक प्लाट इतना छोटा दे दें जिसमें कि एक कमरा ही बने। अब उसमें मां-बाप भी रह रहे हैं, बेटा भी रह रहा है और शादी होने के बाद बेटा और बहू भी उस कमरे में रहने के लिये मजबूर हों। तो ऐसी स्थिति को हमें टालना चाहिये। हालांकि मुझे उम्मीद कम है क्योंकि फतेहपुर में हरिजनों के साथ और हमारे मध्य प्रदेश में भी जो हुआ है, उससे मुझे उम्मीद कम है लेकिन, मैं चाहूंगा कि इस बारे में ध्यान दिया जाये।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है, इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इस भूमि-सुधार अधिनियम का फायदा उन लोगों को मिले जिनका सही मायनों में इस विधेयक के माध्यम से लेने का हक बनता है क्योंकि आज इस विधेयक को पास करना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो कानून राज्य सरकारों ने बनाये हैं, उन का क्रियान्वयन आप सही तरीके से करवा सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां जिस मानसिकता वाली पार्टी की सरकार है, उस सरकार के सदस्यों को देखकर, सुनकर और उनकी कार्यवाहियों से यह कहीं से भी आभास नहीं होता है। इन में सामंत हैं, जागीरदार हैं और बड़े-बड़े ज़मींदार हैं और इस सारी मंडली को देख कर मुझे इसका आभास नहीं हो पा रहा है कि वह गरीब, हरिजन और आदिवासियों के हित में कोई इस प्रकार का कदम उठा पायेंगे।

महोदय, अंत में मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर आप इस बिल के माध्यम से कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहते

हैं तो यह लाभ उस दिन आप को मिलेगा जिस दिन देश के हरिजन, आदिवासी और भूमिहीन मजदूर यह कह दे कि, हां हम को इस भूमि सुधार से फायदा हुआ है वरन सारी बातें अखबारों में रहेंगी, कागजों में रहेंगी और यहां रिकार्ड में रहेंगी । इसके अलावा नीचे जाने वाली नहीं हैं । धन्यवाद ।

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I rise to support the Bill. The Bill seeks to include another 55 Acts relating to land reforms in the Ninth Schedule of the Constitution. It is, no doubt, a positive step. That is why I am supporting it.

As you know, at present, about 13 lakh acres of land is locked up in litigation in courts. I think, the intention of the Bill is to provide some safeguards to the existing land ceiling laws and tenancy laws. This Bill, to some extent, paves the way for distribution of land still under litigation.

At the same time, I say that this is not enough. It is nothing new. The hon. Minister himself, in his speech while moving the Bill, admitted that out of 202 Acts included in the Ninth Schedule of the Constitution, 162 Acts relate to land. Therefore, it is nothing new. As the hon. Minister himself admitted, about 162 Acts have been given berth in the Ninth Schedule. But it only touches the fringe of the problem.

Therefore, I request the hon. Minister and the National Front Government not to be very complacent and not try to pat their own back simply by including these land ceiling laws in the Ninth Schedule of the Constitution. The National Front Government should give more thought to the implementation of land reforms. We should not forget. The Minister also said in his speech. He mentioned about the Resolution of the Avadi Congress. We should not forget that 'land to the tiller' was the battle-cry with which millions of peasants joined the freedom struggle. Ending landlordism, lock, stock and barrel, in all its forms, by smashing its deadly grip over the rural society and making the cultivator the owner of the land he tilled, was considered by the peasantry to be the essential ingredient of freedom which they hoped would solve all their age-old problems of poverty, landlessness and backwardness. Only such a radical transformation of rural society could have made the basic needs of the population to create an ever expanding market for industry, thereby facilitating India's transformation from a backward agrarian economy into a flourishing industrial country.

But after 42 years of independence what are we witnessing today? Sir, in the year 1969 the then Government instituted a Committee, Mahalanobis Committee. This Committee estimated that if we take 20 acres as family ceilling, 63 million acres of land would have been available for distribution. But up till now only 78 lakh acres of land have so far been declared surplus and out of which 58 lakh acres have been taken possession of and only 45 lakh acres have been distributed so far. So, this is the shabby state of affairs after 42 years of independence.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI M. A. BABY): One lakh acres per year after independence.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: In spite of repeated promises by the Central Government and the State Governments, no effort is made to distribute this waste land to the landless cultivator. It is also reported that to prevent

[Shri Ram Narayan Goswami]

cultivable waste-land from being distributed, powerful landlord elements who are illegally occupying it, have got it declared unfit for cultivation with the connivance of corrupt revenue officials. This is not all in many States. Thousands of cases have been instituted against the poor cultivators of the Government wasteland and forest banjar land.

Then there are 29 million acres of bhoodan land. Bhoodan movement was over in 1950s itself. How is it that even after 40 years that land has not been distributed to the agricultural workers and poor peasants? For all these deliberate attempts to stall the implementation of land reforms the land holding pattern of our country is very much skewed to big land-holders. Now the agriculture census report of 1985-86 is available. According to this report 76·4 per cent of the cultivating households below 2 hectares are operating only 28.8 per cent of the land. On the other hand, 20.2 per cent of the land is concentrated in 2.4 per cent of the large landholdings. I want to know why land reforms are not implemented. In the Revenue Ministers Conference in December, 1988 the then Agriculture Minister, Shri Bahajan Lal, lamented by saying, I quote:

"Despite direction given to the State Government that protection needs to be provided to the beneficiary allottees of ceiling land against dispossession, there has been no improvement in the situation."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please try to conclude within two minutes.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: In that conference, the then Rural Development Minister, Shri Janardahan Poojari, said:

"I am not unaware of the tremendous pressure from the land-owners' lobby against entering the names of sharecroppers and tenants in land records. It is also widely known that some States have even gone to the length of directing their lower revenue machinery not to record such tenements, notwithstanding that such instructions may well be inconsistent with the provisions of law."

Sir, apart from the observations made by Shri Bhajan Lal and Shri Janardhan Poojari, recently the Lal Bahadur National Academy of Administration observed:

"The incidence of informal tenancy was highest in Bihar (95.30 %) and U. P. (87.20 %) followed by Haryana (57.80%)."

They also observed:

"The occupancy tenants are also continuously evicted. No share cropper can adduce evidence in the context of the atrocious nature of landlordism prevalent in Bihar."

So, what I want to say is that mere enacting of some laws or amending the Constitution is not sufficient. The political will and a militant mass movement of the peasants are urgently required. Here lies the question why land reforms have made some headway in West Bengal and not in other parts. In West Bengal, Kerala and Tripura there is a big peasant movement, and the Left Front Governments are also supporting it. So, political will is required and a militant mass movement of the peasants has also to be built up. I would also request all the parties to severe their ties with the landlord lobby.

Sir, Mr. Solanki also mentioned that in their party, and other parties also, the landlord lobby is strong. Dr. Ratnakar Pandey, my learned colleague, has mentioned the name of our Prime Minister, Shri V.P. Singh, but he failed to mention the name of Shri S. N. Sinha, the previous Chief Minister of Bihar. He also failed to mention the name of Shri M. K. Moopanar, their leader; he

also failed to mention the name of Shrimati Madhuri Sihna, an M. P. then. So, I want to remind them that there are so many persons in their party who are evading land ceiling laws and still retaining much land over and above the ceiling.

Now, Sir, Mr. Devi Lal is our Deputy Prime Minister. ..(*Interruptions*)...I understand that he is the most respected leader of the Bharatiya Kisan Union and he is also respected by the peasant organization led by Shri Sharad Joshi. With best regards to him, I would urge upon him to please tell all these organizations to include the issue of land reforms and the issue of wages to the agricultural workers in their charter of demands.

Sir, I do not want to take much of your time. I would only suggest that merely giving a berth to the exsting land reforms will not pay much dividend. So I would suggest for the Minister's consideration that some steps should be taken to plug the loopholes in the existing land ceiling legislation. Without this, not much land will be available for distribution. Secondly, I want to suggest whatever land is available for distribution, including the waste land and forest Banjar land, should be dsitributed at once.

Thirdly, a ban should be imposed on eviction. I say this because a large-scale eviction has been going on in various States, including Bihar and U.P.

Fourthly, the land of the Adivasis, which has been grabbed by money-lenders and landlordrs should be given back to them.

Lastly, as has been mentioned by other hon. Members also, and records should be updated. Otherwise, nothing can be done.

I hope the hon. Minister will take steps on the lines I have suggested.

With this I again support the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY) : Now, the House stands adjourned till 2.15 P.M. today.

The House then adjourned for lunch at twentysix minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at seventeen minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri M. A. Baby)** in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY) : We continue the discussion on the Constitution Amendment Bill. Dr. Abrar Ahmed Khan.

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और कांग्रेस की हमेशा यह नीति रही है, कांग्रेस का हमेशा से सिद्धांत रहा है कि कभी भी किसी गरीब से संबंधित, किसी निर्धन से संबंधित, अनुसूचित जाति से संबंधित, पिछड़े वर्गों से संबंधित कोई भी बिल आये जिससे चाहे एक व्यक्ति को लाभ मिले या अनेकों को लाभ मिले, अधिक लाभ मिले या थोड़ा लाभ मिले कांग्रेस ने हमेशा उसका समर्थन किया है और उसी कारण से मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कांग्रेस का इतिहास रहा है, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने और उसके बाद राजीव गांधी ने बराबर से पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने के लिये, निर्धनों को ऊपर उठाने के लिये, गरीबों को ऊपर उठाने के लिये बीसियों बिल यहां लाये हैं,

[डा० अबदार अहकद खान]

कानून बनाये हैं, कानूनों में तबदीली की है तो मैं उनकी नीति-रीतियों को, उन के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, मेरे माननीय सदस्यों ने अभी मेरे पूर्व काफी कुछ बोला है, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, उसको यहां रीपीट नहीं करना चाहता, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बिल के बारे में कुछ सुझाव खास तौर से देना चाहता हूं। उसमें सबसे पहला, मैं यह माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पटवारी के पास जो गिरदावरी का रिकार्ड होता है उसमें मात्र उस भूमि के मालिक का नाम लिखा जाता है। उस पर वास्तव में कृषि कौन करता है या कृषि करने वाला कोई व्यक्ति है उसका कहीं लेखा-जोखा नहीं होता है। उसके कारण से जो वास्तव में कृषि करने वाला होता है यदि वह बटाईदार होता है उसके हाथों का, उसके अधिकारों का हनन होता है। तो माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि जो गिरदावरी का रिकार्ड पटवारी के पास होता है उसके अन्दर इस प्रकार का प्रयोजन करें कि उस भूमि के मालिक के साथ-साथ वास्तव में उस भूमि पर जो कृषि करता है, उस भूमि पर जो खेती करता है उस व्यक्ति का भी उसके अन्दर नाम हो।

दूसरे, इस बिल के अन्दर यह जो बात आयी है नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने वाली तो उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात तो एक है कि हम इसका इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? इसको क्रियान्वयन कितना कर पाते हैं? कानून तो पहले भी बहुत बने हैं, कानून अब भी बन रहे हैं और रोज हम यहां बैठ कर कानून ही बनाते हैं। लेकिन उसका कितना क्रियान्वयन कर पाते हैं, असल मुद्दा यह है। इस संबंध में मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकारी स्तर पर जो जमीनें आवंटित होती हैं वह आवंटन गरीब व्यक्तियों में नहीं होता। जो वास्तव में हकदार होते हैं उन को नहीं होता। जो सरकारी अधिकारी आवंटन करने जाते हैं उस समय वे किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं उसको मैं नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो तरीके उस समय अपनाये जाते हैं उससे गरीब व्यक्ति जो वास्तव में भूमि का हकदार है वह उससे वंचित रह जाता है। जो जमींदार हैं वह किसी न किसी तरीके से उन जमीनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लोगों के नाम, अपने नौकरों के नाम या इसी तरह अपने दूसरे व्यक्तियों के नाम आवंटित करा लेते हैं जिससे वास्तव में जो भूमि के लिये हकदार हैं वह रह जाते हैं। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि जो कृषि भूमि के आवंटन का तरीका है उसमें इस प्रकार से सुधार करने की आवश्यकता है जिससे जो भूमि का वास्तविक हकदार है उस को आवंटित हो सके। जो गलत तरीके से आवंटन होता है उस पर रोक लगाई जाये। जैसा सोलंकी जी ने कहा कि जो व्यक्ति कृषक है, वास्तव में कृषि करने वाला है उसको भूमि का आवंटन नहीं हो पाता। जिन व्यक्तियों का काम कृषि कराना नहीं है, जिनका धंधा कुछ और है, व्यवसाय कुछ और है, जो शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, जिन्होंने कभी खेती की शक्ल नहीं देखी वे लोग भूमि के हकदार हो जाते हैं। इस संबंध में यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो भूमि का आवंटन हो वह उस व्यक्ति को हो जो खुद कृषक हो, कृषि करता हो, खेत में हल चलाता हो। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि भूमि सुधार कानून में कुछ साइड अफेक्टस हैं। जैसे एक किसान कर्जे के अन्दर जन्म लेता है वह कर्जे के अन्दर ही मरता है। उस किसान की पीढ़ी उस कर्जे से दबी रहती है। किसान जब पैदावार करता है और उसको बाजार में बेचता है तो उसकी बड़ी मुश्किल से दो पैसे मिल पाते हैं। उसको अपना

कोई भी कार्य करने के लिये ऋण पर आधारित रहना पड़ता है। और जब वह ऋण लेता है तो उसको साहूकार के चंगुल में फंसना पड़ता है। मैं यह आग्रह करूंगा कि लैंड रिफार्म का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये। ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे किसान उस साहूकार के चंगुल से छुटकारा पा सके। किसान अपनी फसल पर निर्भर रहता है और फसल उसकी वर्षा पर निर्भर रहती है। मानसून एक तरीके से जुआ है। कोई भी किसान यह नहीं कह सकता कि उसकी अगली फसल में कुछ पैदा होगा या नहीं। किसान को विवश होकर साहूकार के चंगुल में फंसना पड़ता है और फंसने के बाद ब्याज-दर-ब्याज बढ़ता जाता है। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। उसकी पीढ़ियां भी उस कर्ज को नहीं चुका पातीं। इसलिये इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस तरह का प्रतिबन्ध लगाना होगा जिससे कृषक अपनी भूमि को गिरवी न रख सके। बेटी की शादी होने के साथ साथ जब बेटी विदा होती है तो उसकी भूमि भी विदा हो जाती है। बेटी की शादी के लिए उसको किसी न किसी साहूकार से ऋण लेना पड़ता है और अपनी भूमि गिरवी रखनी पड़ती है। वह भूमि कभी कभी छुड़ा नहीं सकता। इस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि उसकी भूमि गिरवी न रखी जा सके। जो पहले से कानून बना हुआ है उसके साइड अफेक्ट्स हैं। गांव में रूढ़िवाद भरा पड़ा है। गांव के किसान को अपनी प्रतिष्ठा बनाने के के लिए, उसको बचाने के लिए या लोगों के कहने पर इस प्रकार के रूढ़िवादी तरीकों को विवश होकर अपनाना पड़ता है। जैसे परिवार में कोई मर गया तो उसको नुकता करना बहुत जरूरी है। कानून में इसकी बाध्यता है लेकिन इसके बावजूद भी वहां 40–40 गांव को, 25–25 गांव को 20–20 गांव को खिलाने के लिए विवश होना पड़ता है और कर्ज के चंगुल में फंसना पड़ता है। उसको नुकता करना पड़ता है और नतीजा क्या होता है कि उसकी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। उसकी जमीन बिक जाती है। उसकी जमीन गिरवी रखी जाती है। उस किसान को सही माने में सम्पन्न बनाने के लिए, उसकी जमीन बची रहे इसके लिए रूढ़िवादी तरीकों पर पाबन्दी लगानी पड़ेगी। इसके साथ-साथ जो जमीन एलाट की जाती है वह कागजों पर ही एलाट की जाती है। लेकिन वास्तव में गरीब लोगों को उसका कब्जा नहीं मिल पाता। आज भी राजस्थान में बीसों गांव में मैं जाता हूं वहां पर बेचारे गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग कहते हैं कि हमें जमीन तो एलाट कर दी गई लेकिन आज तक कब्जा नहीं दिया गया। उस पर फलां या अमुक आदमी का, ताकतवर और शक्तिशाली आदमी का कब्जा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जमीन गरीब को आवंटित की जाय उस पर उसको अधिकार दिलाया जाय, कब्जा दिलाया जाय। केवल मात्र सरकारी आंकड़ों के लिए कह देने से कि जमीन आवंटित कर दी गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बिल के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कोर्ट केसेज में किसान बरबाद हो जाते हैं। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि स्पेशल कोर्ट बनाये जायें और कोर्ट मौके पर जाकर सुनवाई करे और मामलों का निपटारा करे। इससे किसान बरबादी से बच सकता है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भूदान आन्दोलन का जिक्र किया। लेकिन उस जमीन का भी पूरा आवंटन नहीं हो सका। मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन में जो जमीन मिली वह बाद में वापस ले ली गई। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन भूदान आन्दोलन का जिक्र किया गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सम्मानीय राजा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी भूदान आन्दोलन में भूमि दान में दी थी, लेकिन उनकी पत्नी ने इसको गलत बता कर और पागलपन का सर्टिफिकेट लेकर... (व्यवधान

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): इनको संविधान संशोधन पर बोलना चाहिए

[श्री शंकर दयाल सिंह]

..(व्यवधान) । इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए ।

SHRI ABDUL SAMAD SIDDIQUI (KARNATAKA) : Sir, this is baseless allegation. This should be expunged. (*Interruptions*).

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. UPENDRA) : Mr. Vice-Chairman, Sir, let him confine himself to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY) : Please confine yourself to the Bill. (*Interruptions*). Now your time is over. Please conclude.

डा० अवरार अहमद खान : माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित हो रहे हैं । यह मेरे कहने की बात नहीं है । यह रिकार्ड पर मौजूद है । आप इसको देख सकते हैं । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पागलपन का सर्टिफिकेट लेकर उस जमीन को वापस लिया । यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिकार्ड पर मौजूद है । माननीय सदस्य ने भूदान आन्दोलन का जिक्र किया था,इसलिए मैंने इसको यहां पर कहा । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भूमि आवंटित की जाय वह किसानों के लिये उपजाऊ हो । लेकिन देखने में यह आया है कि सरकारी आंकड़े फुलाने के लिये भूमि आवंटित दिखाई जाती है । और ऐसी भूमि आवंटित की जाती है जिसका कृषि से कोई लेनादेना नहीं होता है । किसान भूमि के मालिक तो बना दिये जाते हैं, लेकिन वास्तव में किसान उस भूमि पर हल नहीं चला सकता है और रत्ती भर उपज भी नहीं पैदा कर सकता है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ऐसी भूमि आवंटित की जाय जो वास्तव में उपजाऊ हो । इसके साथ साथ मैं इस बात की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो भूमि आवंटित की जाय तो उसमें यह ध्यान रखा जाय कि वन की किसी भूमि को हाथ न लगाया जाय क्योंकि वन का सीधा संबंध कृषि से है, वातावरण से है, इनवायरनमेंट से है । मैं इन सब बातों को कहते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो कानून यह ला रहे हैं और जिसका हम भी समर्थन कर रहे हैं उसको यदि यह सरकार वास्तव में इम्प्लीमेंट करना चाहती है, वास्तव में अगर सरकार किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती है, वास्तव में इसको इम्प्लीमेंट करके अगर सरकार गरीबों को राहत पहुंचाना चाहती है तो इसके लिये सरकार के अन्दर तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है । वे तीन चीजें हैं, करेज, करेक्टर और कांफिडेंस । महोदय, अगर ये तीन चीजें सरकार के के पास नहीं हैं, करेज, करेक्टर और काफिडेंस तो मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा कि चाहे इस तरह के कितने ही कानून यहां बना दिये जायें, गरीब किसानों तथा निर्धनों को इसका कोई लाभ नहीं पहुंच सकता है । यह क्यों नहीं पहुंच सकता ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह इसलिये नहीं पहुंच सकता क्योंकि जो भूमि है, जो जमीन है, आज वह राजा-रजवाड़ों के पास है, पूंजीपतियों के पास है, सामंतवादियों के पास है । जिसको बिना करेज, करेक्टर और कांफिडेंस के यह सरकार वापस नहीं ले सकती है । इसके बिना यह सरकार गरीबों को उनके अधिकार नहीं दिला सकती है । तो सरकार को करेज करेक्टर और कांफिडेंस से काम करना चाहिये । वरना सरकार गरीबों को उनके अधिकार नहीं दिला सकती है । अगर यह सरकार इस बिल के माध्यम से कोई राजनैतिक लाभ लेना चाहती है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बिल कांग्रेस के समर्थन से पास हो रहा है । जो अनुसूचित जाति और जनजाति का बिल पास हुआ है वह भी कांग्रेस के समर्थन से पास हुआ है । विपक्ष में रहते हुये कांग्रेस का इनका समर्थन करना यह इस बात को प्रतिपादित करता है कि कि कांग्रेस गरीब, निर्धन और अनुसूचित जातियों के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है । चाहे इससे रामधन को लाभ पहुंचे चाहे किसी को पहुंचे । यह कांग्रेस की नीति है, रीति है । सरकार को इस

बिल के माध्यम से अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिये और इससे किसी प्रकार का राजनैतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिये। सरकार को अपनी नीयत को साफ रखना चाहिये और अगर नीयत को साफ रखने का काम करेंगे तभी गरीबों को इसका लाभ मिल सकता है, निर्धनों को इसका लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY) D·. Sivaji.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andh·a P adesh) : Sir, the learned Member.... (*Interruptions*).

SHRI M.M. JACOB : Sir, we have agreed for voting at 2.30 p.m. I do not mind if you allow more speakers. But in that case, one or two speakers may be allowed subsequently from this side also. I want to make it very clear. We have agreed for voting at 2.30 p.m. If you undertake more speakers, then I will be compelled to add one or two speakers from this side. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY) : The only problem is that there are parties which have not participated. so far. Kindly undertake that.

SHRI M.M. JACOB : But they are constituents of the National Front.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): But they are parties having separate entities. I will allow one from each party not represented so far.

SHRI KAMAL MORARKA : How many speakers are there still?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY) : From the Opposition side many people have spoken. Please cooperate. We have already fixed it for 2.30 p.m. He will take 10 or 15 minutes more. (*Interruptions*).

SHRI KAMAL MORARKA : Sir, then you fix the time at 2.45 p.m.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: The learned Member Mr. Madhavsinh Solanki from the other side has said in the course of this speech that this Government is not serious and the Eighth Plan Draft does not say anything about land ceiling. I would like to quote from the Approach to the Eighth Five-Year Plan.

"Steps will be initiated to review and reformulate the land legislations and ensure effective implementation. The inclusion of land reform laws in the Ninth Schedule of the Constitution is a step in this direction. Land reforms should encompass various aspects of land relationships, such as tenancy, homesteads, consolidation of holdings, land ceilings and distributions of surplus and including land at the disposal of the Government.

So far as tribal lands are concerned, there should be prohibition on its sale or transfer to non-tribals. In the content of land reforms, proper maintenance and improvement of land records assume added importance."

Another Member from the other side also said that Mrs. Gandhi withdrew the right to property from fundamental rights. But I would like to clarify that it was the Janta Government which, during 1978, with the Forty-Fourth Amendment, withdrew the right to property from fundamental rights. The Congress since 1936 from the Gaya AICC enunciated time and again, and day in and day out, about land ceilings and land to the tiller and this and that, but at no time they are serious about implementation of the land ceiling acts. There is no other area where such a gap exists between profession and implementation, between

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

word and deed as in the area of land ceiling.

It is the responsibility of the Congress Government. Since the last 40 years several laws have been passed. several laws are enacted in various States about land ceilings. By 1987, about 169 laws were included in the Ninth Schedule but at the same time they were executed more in violation than in implementation. It is just like anti-Dowry Act, anti-Corruption Act, Untouchability Act and anti-Prohibition Act; all these acts are also executed more in violation than in implementation. Out of 76 lakh hectares declared so as surplus, only 45 lakh hectares have been distributed so far and the rest of the land is still lying with the landlords and legal battles are going on in various courts. Meanwhile, these Special Officers with executive powers like Land Ceiling Officers, Vakils, Government pleaders and Village Officers are having a field day and they are using the Land Ceiling Act for violation. Divorces, adoptions and agreements take place, that too on old documents, that too to violate these lands. So what I would like to mention here is that simply adding these acts including 54 acts in the Ninth Schedule is not enough and I would like to suggest to the Government that under article 323 B, special tribunals should be set up to see that all these Land Ceiling Acts are implemented, both in letter and in spirit.

SHRI N.E. BALARAM (Kerala): Sir, I am only raising my point. I support the Bill. The intention of this Bill is very clear: to bring a large number of land reforms acts under the purview of the Ninth Schedule with some constitutional safeguards. But my fear is —I am saying this out of my experience—that even though all these land reforms acts are brought under the purview of the Ninth Schedule, Schedule, I think, litigation will continue as long as article 226 exists in the Constitution. It is there in the Constitution. Now article 226 is being widely used in all the States by the landlords and they are approaching the High Court and in Kerala, according to my information, there are about three thousand petitions pending in the High Court. This is not the question of Kerala alone; I am told, in Bihar thousands of petitions are before the High Court and we have given protection to all these Land Reforms Acts by keeping them under the Ninth schedule. Even though landlords are using this particular article, article 226 and so many cases are pending before the court. I am not criticising the Courts and that is not my purpose. But the cases are going on for the last few years. For instance, when the entire private lands were taken over by the Kerala Government, a large number of petitions were submitted to the Kerala High Court by the landlords. Now, forests are under the control of the landlords. But nothing has been done and the cases have been going on for the last ten or eleven or twelve years. I do not know what the way out is. I am only posing a problem. We should not be under any illusion that once we include all these Acts in the Ninth Schedule we can immediately implement the landreforms. It cannot be done. That is the point that I want to make. I do not know what the way out is. I have gone into this problem and I tried to get some legal opinion. I understand that some suggestions are coming up that if we are going to bring forward any land reform legislation, then, if we set up special tribunals, as Dr. Sivaji has suggested, under article 323, then there will be some hope. It is said that in that even we can implement land reforms as quickly as possible. But this is to be done by the Government. Otherwise, we will

only talking about land legislation. There are several reasons for the non-implementation of land reforms. I can cite one example. In all the Left Front-led States—I am not introducing politics here; but this is a fact—land reforms were implemented in a much better way than in many other States This is a fact. But even then, even in those States, this difficulty is there. I am not saying that we should remove article 226 because it is a right and it has a wide scope and I do not know how we can get out of the trouble. But it is there. If the Government is thinking about implementing land reforms, my suggestion would be that it must take into consideration all these problems and a number of steps are to be taken in this regard. Review or revision of the land reform Acts, screening of the entire revenue system, all these are needed. You can definitely implement the land reform Acts. I am under no illusion that all these land reform Acts will be implemented. But my only point is that this particular article is there in the Constitution and that article, as it exists today, poses some problems. That is all. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): Now, Mr. Solanki.

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, will you allow me to make only one sentence?..(*Interruptions*).. I will say what I want to say only in one sentence,...(*Interruptions*)...

Sir, putting the land reform Acts in the Ninth Schedule makes no difference at all until and unless you amend your land laws themselves. Every single landlord in the country contravenes the provisions of land ceiling Acts because of the existence of the clause that all transfers before a certain date will be counted as genuine, those transfers which are proved to be genuine to the satisfaction of the Land Ceiling Officer. And, who is the Land Ceiling Officer? He is the one who is on the spot. So, I may inform the House that lakhs and lakhs of acres of land have been kept out of the purview of the land ceiling legislation by this device and there is not a single State which has an Act without this clause.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Mr. Gopalsinh Solanki. Only two minutes, please.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Sir, I am the only one from my party. I request you to give me a little more time.

While supporting this Bill I would like to submit that there are three kinds of classes in the society. The first is the creative class, the second the appreciative class and the third the cynical—the class which criticises. It is as the third quality that this Government has introduced this Bill. So far as creation is concerned, the Ninth Schedule was created in the Constitution in 1951 and since then the Government has been trying to give benefit to the poor and landless people. In 1951 Jawaharlalji had also said that mere passing of the Constitution Amendment and creating the Ninth Schedule would mean nothing to heal the injuries of the common class people, of the labour class people. Unfortunately the past Government could not implement the land reform legislations and thus it has disappointed and disillusioned the people of India who will not pardon it. The second is this Bill covers twelve States and five subjects like tenancy laws, land ceiling, etc. But then mere introduction and passing of this Bill alone will not serve the purpose if this legislation is not implemented and implemented immediately and effectively. The torture of the poorer classes of society, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of the landless people, by the

[Shri Gopalsinh G. Solanki]

land lords and the bureaucratic people still continues. The landlords purchase the lands of the poor people including the lands of the Adivasis and again sell them and make money for themselves. Thus the poor are becoming poorer and the rich are becoming richer. (*Time bell rings*) Therefore, in this Bill it is also necessary to include the Consolidation of Holdings Act and make it uniform throughout the country. Further I would like to say that this Bill benefits 1 crore 23 lakh litigants who are engaged in legal battles. (*Time-bell rings*) Ten per cent of those cases are land litigation cases. I am concluding, Sir. Therefore, it is necessary to introduce and pass this Bill. I support this Bill.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I support this Bill. But while supporting this Bill I would repeat, as quite a number of other Members have done, that mere legislation is not enough. Putting these Acts in the Ninth Schedule only means making them non-justiciable. But in the ultimate analysis nothing is non-justiciable and the Supreme Court may always intervene. Therefore, that difficulty will not be there always. But there is another aspect. During the Congress regime, it was pointed out by many, 162 land legislations were put in the Ninth Schedule. All the legislations put in this Schedule so far number 202 of which 162 are land legislations. But we know what has been the progress of land reforms in most of the States in the country. Land reform has actually been treated as untouchable. So long as that position does not change, mere putting these land legislations in the Ninth Schedule won't do. I remember when the United Front Government came into being in West Bengal, a point that was made so forcefully was that not by mere legislation but by the struggle of the peasants the land reforms can be made effctive. These aspects must be kept in view. (*Time bell rings*)

The intention that has been declared by this Bill has to be put into action and has to be backed by the struggle of the peasants. If this is not possible, the purpose of the Bill cannot be served.
Thank you.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam) : Sir, without land the human life cannot survive. For effective land reform it is necessary to plug all the loopholes. In this connection, I would like to suggest a few points.

It is because of the landlords that the land given to the Harijans cannot be owned or enjoyed by them and they become bonded. That is why I suggest that a provision should be there to plug the legal loopholes and a quick disposal of civil cases must be done protection should be given to the people who get possession of the land.

With these few words, I support the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY) : Kumari Chandrika Kenia. Please emulate Shrimati Bijoya Chakravarty.

KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA (Maharashtra) : I take your advice. But give me at least two minutes.

मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है । महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर सही मायनों में भारत देखना है, असली भारत देखना है तो हमें गांवों में जाना पड़ेगा । पंडित नेहरू जी ने भी यह बात इस प्रकार से कही थी– भारत माता क्या है, लहलहाते खेत, बहते पानी और हिमालय की ऊंचाई से ही सिर्फ भारत का दर्शन नहीं होता है, जो यहां के लोग हैं, भारत की जनता है, वह भारत की आत्मा है । यह बात पंडित नेहरू ने कही थी । लेकिन भारत का किसान क्या कह रहा है, वह मैं आपको बताना चाहूंगी। किसान कह रहा है: मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह बसर हमने जिन्दगी कर ली ।

मान्यवर, आज इस भारत-पुत्र, किसान-पुत्र के घर में शायद चिराग न जलते हों, दीप प्रज्वल्लित न होते हों, लेकिन यह एक सुनहरा अवसर, सुनहरा, मौका भारत सरकार दे रही है, करोड़ों किसान-पुत्रों को सरकार सहारा दे रही है इस संशोधन के माध्यम से और इसमें कहा है कि कानून को यह हक नहीं होगा, अदालत को यह हक नहीं होगा कि बड़े-बड़े जमींदार उनका उपयोग करें, जहां तक भूमि सुधार का सवाल है।

मान्यवर, जमींदारी प्रथा खतम करने की घोषणा को कई साल हो गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अब तक यह जमींदारी खतम नहीं हुई है, फ्यूडिलिज्म का जो कब्जा है, वह अभी तक वैसे का वैसा बना है। हम सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, संविधान में भी यही बात बताते हैं, लेकिन असल में यह समानता कहां है? यह मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज भी मां-बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, आज भी गरीब के हाथ से रोटी छीनी जा रही है, उसका शोषण हो रहा है, उसके पीने के लिये पानी नहीं, उसकी झोपड़ी में अंधकार है। मैं यह कहना चाहूंगी कि गरीबी से बड़ा श्राप और कोई श्राप नहीं हो सकता है, गरीबी से बड़ा अपराध नहीं हो सकता है, गरीबी से बड़ा अंधकार नहीं हो सकता है। हमको चाहिये कि हम इस श्राप को मिटायें, इस अंधकार को मिटायें... (**समय की घंटी**)

मान्यवर, रवीन्द्र नाथ टैगोर जी ने कहा है – हम सूरज की तरह प्रदीप्तमान तो हो नहीं सकते हैं, पूरे विश्व को तो प्रकाश नहीं दे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि छोटा सा दीया बनकर हम अपने इर्द-गिर्द का अंधकार दूर करें। तो आज हम इस सुनहरे मौके पर, जबकि भारत के संविधान का संशोधन हो रहा है छियासठवें संशोधन विधेयक के द्वारा और इसके द्वारा बहुत सारे कानून हम नाईन्थ शेडयूल से डाल रहे हैं ताकि न्यायालय या अदालत के दरवाजे बड़े-बड़े जमींदार है खटखटा सकें, हम यह वचन लें तब हम छोटे से दिये बनकर गरीबों की झोपड़ी में अंधकार दूर करेंगे। धन्यवाद।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम: (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 66वें संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, बहुत दिनों से यह बात कही जा रही है, आज से पहले भी जो सरकार शासन में रही है, उनके नेता भी कहते रहे हैं कि खेत जोतने वाले को खेत मिलेगा। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसको बहुत जोरों से कहा कि हम खेत जोतने वाले को सही मायनों में खेत उपलब्ध करा सकेंगे।... (**समय की घंटी**)

महोदय, यह जो संविधान संशोधन विधेयक आया है, इसके माध्यम से 9वीं सूची में जो भूमि सुधार के कानूनों को डालने की बात कही गई है, निश्चित ही आज की समय की आवश्यकता के अनुसार यह एक आवश्यक कदम था जिसको इस सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उठाया है। पिछली सरकार बहुत दिनों से शासन में होते हुए भी, नारों को बार-बार दोहराते हुए भी आज तक सही मायनों में गरीब को भूमि नहीं दे सकी। निश्चित ही इसके पीछे मैं समझता हूं कि उनकी राजनीतिक इच्छा नहीं थी।

महोदय, मौजूदा बिल के बारे में हमारे साथियों ने कहा कि इस बिल में कुछ है नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चे की अभी इतने थोड़े दिनों की सरकार, हो सकता है कि इस बिल में कुछ न हो अभी, लेकिन इस सरकार के दिल में क्या है, यह इससे साफ जाहिर होता है। ..(**व्यवधान**)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): You have made your point very effectively. Please conclude now.

डा. रत्नाकर पाण्डेय: दिल किस मायने में कहा है इन्होंने।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम: मैं कहा रहा हूं। मैं बता रहा हूं। यहां साफ जाहिर होता है, इरादे से पता चलता है कि जो 40 बरस तक सत्ता में बैठा रहा हो और उसके बाद भी आज अगर कमजोर हाथ में जमीन नहीं, कागज का

[श्री आनन्द प्रकाश गौतम]

टुकड़ा लिए घूम रहा है, उसको यह सरकार सही मायनों में जमीन उपलब्ध कराना चाहती है। मैं यह चाहता हूं कि कागज के टुकड़े से नहीं बल्कि जमीन देने से उसके सही इरादे का पता चल सकता है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा (**समय की घंटी**)... कि इसके साथ ही हम इसमें ऐसे कानूनों का भी विधान करें जिससे सही मायनों में हम उसकी मदद कर सकें और मेरी आशा व उम्मीद है कि वर्तमान सरकार उन गरीबों को जमीन देकर के उन्हें भारत माता के एक खेत जोतने वाले किसान के रूप में बना सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

3.00 P.M.

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल: (गुजरात) उपसभाध्यक्ष जी, मैं ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो मंत्री जी कर सकते हैं क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं। महोदय, आज 1 करोड़ 23 लाख केस लैंड डिस्प्यूट के पड़े हुए हैं। आप स्पेशल कोर्ट एप्वाइंट करके ये केस जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं। वह काम आप अगले मंडे तक कर सकते हैं। दूसरा यह है कि 78 लाख एकड़ लैंड सरप्लस निकाला गया है, उसमें से 42 लाख एकड़ जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है बाकी जो 36 लाख एकड़ जमीन बची है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। यह काम दो-तीन महीने में हो सकता है। इसको आप कर सकते हैं।

तीसरी बात यह है कि उपेन्द्र जी सुनिए, यह आपके लिए हैं। आप तो भूमिहीनों का भला करना चाहते हैं लेकिन पी० उपेन्द्र जी उनका बुरा करना चाहते हैं। वह टी वी० पर आजकल "जमीन" नाम का एक सीरियल दिखा रहे हैं। उसमें जमींदार लोग गुंडागर्दी करके गांव के छोटे-छोटे किसानों की जमीन छीन लेते हैं, उसको मार देते हैं और वह भूमिहीन किसान कुछ नहीं कर पाता। तो जो भूमिहीन लोग हैं उनका मनोबल खत्म करने का काम ऐसे सीरियल करते हैं.. (**व्यवधान**)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : पटेल जी, उसका स्क्रिप्ट लिखेंगे।

कुमारी सईदा खातून : उत्तर प्रदेश महोदय, मैं विधवा औरतों की जमीन के बारे में कुछ बात करना चाहती हूं.. (**व्यवधान**) विधवा औरतों की जो जमीन है.. (**व्यवधान**)

THE VICE - CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): You have not been permitted to speak. Please take your seat. (*Interruptions*) Please take your seat. Yes, Mr. Minister.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदय, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं उन सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए, आभार प्रकट करता हूं। उन लोगों ने बहुत से अच्छे सुझाव दिए हैं। माननीय सदस्य सोलंकी साहब ने जो कुछ कहा, उसे मैं बहुत गौर से सुन रहा था। दूसरे सदस्यों ने भी जो कुछ कहा, उसे भी मैंने बहुत ध्यान से सुना है। मैं यह जानता हूं कि सोलंकी साहब गांवों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, सोलंकी साहब गांव वालों को जानते हैं और उनकी समस्याओं से वाकिफ हैं। मैं यह भी जानता हूं कि सदन के अनेक सदस्य गांवों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं भी गांवों को जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, गांव का रहने वाला हूं, गांवों में घूम चुका हूं और सारे देश में किसान संगठन के सिलसिले में मुझे घूमने का अवसर मिला है। मैं अपनी आंखों से असलियत को, सच्चाई को, वास्तविकता को देख चुका हूं और गांव के दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं।

महोदय, मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक के पास होने से कोई बड़ा इंकलाब हो जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक के पास होने से बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा, रिवोल्यूशन हो जाएगा मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक के पास होने से जो पुराना स्लोगन है पंडित नेहरू के जमाने से—लैंड टू दि टिलर, वह मामला हल हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं

कि इस विधेयक से राहत मिलेगी । इस विधेयक से लोगों को मदद मिलेगी जिन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है और परेशानी उठानी पड़ती है । मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे मित्रों ने बहुत सी बातें कही हैं और मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन भारत की स्थिति और देशों से भिन्न है ।

[उपसभापति पीठासीन हुए]

महोदया, हमारे मित्रों ने कहा कि यहां जमीन के टुकड़े हैं, सही बात है क्योंकि हमारे देश में जमीन कम है, आदमी ज्यादा हैं । दूसरे देशों में जैसे रूस में जमीन ज्यादा है, आदमी कम हैं । अमरीका में जमीन ज्यादा है, आदमी कम हैं । अमरीका में 94 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है और उसकी आबादी 24–25 करोड़ की है । रूस में जमीन 224 लाख वर्ग किलोमीटर है और उसकी आबादी करीबन 29 करोड़ की है । लेकिन भारत में जमीन सिर्फ 32 लाख वर्ग किलोमीटर से कुछ अधिक है और जनसंख्या 80 करोड़ 50 लाख की है । हमारे यहां जमीन कम है, आदमी ज्यादा हैं । जब कि अन्य देशों में जमीन ज्यादा है, आदमी कम हैं और जब हमारे यहां जमीन कम है तो ऐसी हालत में जमीन की भूख और बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है यदि कानून के सहारे यह मामला हल नहीं हुआ तो यह मामला तो हल होगा ही, हम करें या नहीं, लेकिन मामला हल होगा, आज नहीं कल होगा, परसों होगा, इसे अब कोई रोक नहीं सकता है, यह रुकने वाला नहीं है । आप इसे सोचें कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही जमीन जोतने वालों को मिलनी चाहिए कहा जा रहा है लेकिन उन्हें मिल नहीं रही है । (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : पोंइट आफ आर्डर ।

उपसभापति : क्या पोइट आफ आर्डर है?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : उप सभापति महोदया, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम जमीनों के संबंध में सुधार करने में कोई भी कमी नहीं लायेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं . . (व्यवधान)

उपसभापति : यह पोइंट आफ आर्डर नहीं हुआ, बैठ जाईये ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : श्री वी०पी० सिंह, प्रधान मंत्री ने राम-जानकी ट्रस्ट और दहिया ट्रस्ट के नाम पर चालीस सौ एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है (व्यवधान)

उपसभापति : यह पोइट आफ आर्डर नहीं है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : उस जमीन को . . (व्यवधान)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदया, मैं यह कह रहा था कि हमारी नीति रही है . . (व्यवधान)

उपसभापति : यह पोइट आफ आर्डर नहीं है आप बैठ जाईये । This is not a point of order. It is overruled. Please take your seat.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आप श्री वी० पी० सिंह के खिलाफ . . (व्यवधान)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदया, मैं यह कह रहा था कि कहीं न कहीं तो खामी है, कहीं न कहीं तो कमी है, कहीं न कहीं गड़बड़ी है, नीति है उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि आज से तीन साल पहले एक मुख्य मंत्री ने कहा कि पैंतीस हजार एकड़ जमीन बांट गया जिले में कागजी बटवारा हुआ और 25000 पर्चा रद्द करना पड़ा । . . (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं . . (व्यवधान) आपको प्रस्ताव कर रहा हूं कि इसे पारित करें, पास करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall now put the amendment of Prof. Chandresh Thakur for reference of the Constitution (Sixty-sixth Amendment) Bill to a Select Committee of the House, to vote.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : Madam, I want to speak.

Land reforms is a very important item. I appreciate that the Government has decided to include these legislations in the Ninth Schedule of the Constitution. But I must say that this proposal to amend

[Prof. Chandresh P. Thakur]

the Constitution is a hypocritical move. (*Interruptions*) Of course, the Bill will certainly be claimed as on one more progressive step by the Government. But the important question is, will it assure additional land to a large number of people ? Let me add here. Since Vermaji mentioned that he comes from a rural area, and for the purpose of reference to the Deputy Prime Minister, I must go on record that I also come from a village. I belong to a genuine rural stock. In view of the fact that there may be a change in the pattern of the Government, this identity may turn out to be important for me.

I would like to point out one important aspect to the hon. Minister. The Minister must know. On the one hand, we are trying to implement land reforms. But whatever may be the progress made in regard to implementation of land ceiling laws and distribution of land, there is a simultaneous problem of further alienation from land ; second round. Hundreds of thousands of people who got land have lost their land, or, they have not been able to retain them. Therefore, the question is not distribution, or, the declaration of intent of distribution. The question is, how, do we provide teeth so that its process of implementation is accelerated ? In this context, the basic reason why I have suggested that it should go to the Select Committee is, how to ensure asceleration of its implementation. We have a provision here. As of today, agriculture is in the State sector. The implementation is at that level. This Constitutional Amendment is going to provide non-justiciability of that, but if the intention is to accelerate the process, we should provide teeth at the Central level so that it can overcome recalcitrant resistance from States where there is no intention to implement it. There is a precedent here. The Urban Ceiling Act has been brought within the Central jurisidction by the States authorising the Centre to enact this kind of a legislation and then give it the power to implement it. My submission to the Government is that if it is really honest with regard to the process of enforcement of land ceiling and distribution of land to those who do not have land, then it should follow the same pattern, bring agricultural land on the Concurrent List and ensure that at least majority of the States authorise the Centre to legislate on land reforms, so that implementation can be accelerated through the administrative process at the disposal of the Central Government. This is a test of honesty. If it is going to be a real progress with regard to the declared intention, the Government should accept that. Let us also face the situation that land is an important asset, but this is not the only asset with the society. If you are professing socialist society socialist justice requires equity across all forms of holdings. Urban land is as much a process of holding as the agricultural land. Similarly, industrial ownership is a much an asset and perhaps sometimes more lucrative asset. Economic studies and technological studies show that agricultural operation is neutral to scales. A small holding can give production activity. Still infrastructure deficiency in an entirely non-green revolution region ensurres that the land will never be a production asset. This is one of the principal reasons why further aliena tion, first round, sedond round and third round, is taking place. People are getting land and running away, either mortgaging it or selling it, because infrastructure is deficient or supplementary inputs....

THE DEPUTY CHAIRMAN : You give the reasons why you want the Bill to be referred to a Select Committee. Please be brief.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : There are several clear reasons. Firstly, I am trying to suggest a route through which the Government can pursue its intention honestly, that is, adopt the urban land ceiling process, by bringing agricul-

tural land on the Concurrent list. Secondly, while doing whatever it does, it must ask a question honestly why the pace of implementation is slow. This is because the State Governments have not been able to do it. Let me ask the Deputy Prime Minister. He is ruling the roost in Haryana. What has been the rate of progress of land reforms in Haryana. State ? Or, let me ask the Parliamentary Affairs Minister who is sitting here, who was very attentively listening to the beautiful ladies he had fielded in support of this Constitutional Amendment Bill what has been the progress of land reforms in a State where Telengana movement started first ? (*Interruptions*) What is your objection that they are not beautifal ladies ?

SHRI P. UPENDRA : I have not fielded anybody. They have come in their own right. (*Interruptions*)

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : Madam, I would not like to imposte my thoughts on Shri Upendra. He can have his own choice.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Whether Mr. Upendra fielded that beautiful lady or not but that lady is beautiful, we should accept that.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: That I accept.

SHRI P. GOPALSAMY (Tamil Nadu) : Is 'beautiful' an unparliamentary word ?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : What I am trying to suggest is that land should go to the tiller of the land. What is more important, the land records are not there. If the records are prepared, you heard about the frauds and all those things. So, how do we update it ? Then, after that if we give land, how do we provide the supplementary support in terms of credit, in terms of fertilizers and other kinds of things ? So, if the Government wants these kinds of things, it requires a dispassionate decision of a group of people who have experience, who have different points of view, and then only it can provide a kind of social justice to the tiller of the land as well as those who are dependent on non-land holdings in the society, whether it is urban property or, like my friend, Mr. Viren Shah has, industrial property. So, that kind of an equity must be brought about.

Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Are you pressing your amendment or withdrawing it ?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : Will the Minister assure that.. (*Interruptions*)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य अपने एमेंडमेंट को वापस ले लें। जहां तक उन्होंने अरबन सीलिंग की बात कही है, अरबन सीलिंग पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं, 11 तारीख को चीफ मिनिस्टरों की बैठक होगी। मैंने पहले ही स्पष्ट कहा है कि हम दुविधा से या आधे मन से कोई काम नहीं करना चाहते हैं, पूरे मन से करना चाहते हैं। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्होंने जो एमेंडमेंट दिया है, कृपया उसको वे वापस ले लें। .. **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN : Are you withdrawing your amendment or pressing it ?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : Madam, the power behind the throne is the kulak class. Are you persuaded that they will really abide by the intentions of the Government ? Will the Deputy

Prof. Chandresh P. Thakur]

Prime Minister declare how much surplus land he has and will be distribute that land ? Will other Ministers from that Government declare what is their surplus land and will they distribute that ? That is the whole question. (*Interruptions*)

Madam, assuming that they have a consensus still left, I withdraw my amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now I shall put the motion regarding consideration of the Constitution (Sixty-sixth) Amendment Bill, 1990 to vote. ....(*Interruptions*).. Please, why are you disturbing when we are taking up the Bill for consideration ? ..(*Interruptions*).. I say, please don't disturb. Anybody who disturbs, I will ask him to leave the House. Please do not confuse the Chair. Please take your seats.

Under article 368 of the Constitution, the motion will have to be adopted by a mojority of the total membership of the House and by a mojority of not less than two-thirds of the Members of the House present and voting.

The question is :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN :

Ayes—177

Noes—Nil.

— Afzal, Shri Mohammad
— Agarwal, Shri Lakkhiram
— Agarwal, Shri Ramdas
— Ahluwalia, Shri S. S.
— Alla, Kumari
— Alva, Shrimati Margaret
— Amin, Shri Mohammed
— Amla, Shri Tirath Ram
— Ansari, Shri Mohammed Amin
— Ashwani Kumar, Shri
Aurora, Sardar Jagjit Singh
— Azam, Shri Ghufran
— Azmi, Maulana Obaidullah Khan
— Baby, Shri M.A.
— Bagrodia, Shri Santosh
— Bakht, Shri Sikander
— Balanandan, Shri E.
— Balaram, Shri N.E.
— Barongpa, Shri Sushil
— Basumatary, Shri Amritlal
— Basu Ray, Shri Sunil
— Bekal Utsahi, Shri
— Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant
— Bhardwaj, Shri Hansraj
— Bhatia, Shri Madan
— Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker
— Bhattacharjee, Prof. Sourendra
— Biswas, Shri Debabrata
— Buragohain, Shri Bhadreswar
— Chakravarty, Shrimati Bijoya
— Chanpuria, Shri Shivprasad
— Chaudhary, Harmohan Singh
— Chaudhuri, Shri Tridib
— Chavan, Shri S.B.
— Chowdhary, Ram Sewak
— Chowdhry, Hari Singh
— Chowdhury, Shrimati Renuka
— Das, Shrimati Mira
— Dave, Shri Anantray Devshanker

— Deepak, Shri Krishan Kumar
— Desai, Shri Jagesh
— Dhawan, Shri R.K.

— Faguni Ram, Dr.
— Fernandes, Shri John F.
— Fotedar, Shri Makhan Lal

— Gaj Singh, Shri
— Gandhi, Shri Raj Mohan
— Ganesan Shri R. *alias* Misa R. Ganesan
— Gautam, Shri Anand Prakash
— Ghosh, Shri Dipen
— Gopalsamy, Shri V.
— Goswami, Shri Dinesh
— Goswami, Shri Ramnarayan
— Gurupadaswamy, Shri M.S.

— Hanspal, Shri Harvendra Singh
— Hanumanthappa, Shri H.
— Hariprasad, Shri B. K.
— Hashmi, Shri Shamim

— Jacob, Shri M.M.
— Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao
— Jogmohan, Shri
— Jain, Dr. Jinendra Kumar
— Jaiswal, Shri Anant Ram
— Jani, Shri Jagadish
— Javali, Shri J.P.
— Jogi, Shri Ajit P. K.

— Kailashpati, Shrimati
— Kakodkar, Shri Purushottam
— Kalita, Shri Bhubaneswar
— Kalmadi, Shri Suresh
— Kalvala, Shri Prabhakar Rao
— Kar, Shri Narayan
— Kenia, Kumari Chandrika Premji
Khan, Dr. Abrar Ahmed
— Khaparde, Miss Saroj
— Khatun, Kumari Sayeeda
— Kiruttinan, Shri Pasumpon Thai
— Kore, Shri Prabhakar B.

— Lather, Shri Mohinder Singh
— Ledger, Shri David
— Lenka, Shri Kahnu Charan
— Lotha, Shri Khyomo

— Madhavan, Shri S.
— Madni, Shri Maulana Asad
— Maheshwari, Shrimati Sarala
— Maheswarappa, Shri K. G.
— Malaviya, Shri Radhakishan
— Malaviya, Shri Satya Prakash
— Maran, Shri Murasoli
— Masodhkar, Shri Bhaskar Annaji
— Mathur, Shri Jagdish Prasad
— Md. Salim, Shri
— Meena, Shri Dhuleshwar
— Mehta, Shri Chimanbhai
— Mishra, Shri Shiv Pratap
— Mohammad Yunus, Shri
— Mohanty, Shri Sarada
— Mohapatra, Shri Basudeb

— Morarka, Shri Kamal
— Mukherjee, Shri Samar

— Naik, Shri G. Swamy
— Naik, Shri R.S.
— Nallasivan, Shri A.
— Narayanasamy, Shri, V.

— Pachouri, Shri Suresh
— Padmanabham, Shri Mentay
— Palaniyandi, Shri M.
— Pandey, Shrimati Manorama
— Pandey, Dr. Ratnakar
— Panwar, Shri B. L.
— Parmar, Shri Rajubhai A.
— Patel, Shri Chhotubhai
— Patel, Shri Vithalbhai M.
— Patil, Shrimati Suryakanta
— Patil, Shri Vishwasrao Ramrao
— Puglia, Shri Naresh C.

— Rafique Alam, Shri
— Rahman, Shri Mohd. Khaleelur
— Rai, Shri Ratna Bahadur
— Raja Ramanna, Dr.
— Raju, Shri J.S.
— Rao, Shri Moturu Hanumantha
— Rathwa, Shri Ramsinh
— Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan
— Reddy, Dr. Narreddy Thulasi
— Reddy, Shri T. Chandrasekhar

— Sahay, Shri Dayanand
— Sahu, Shri Rajni Ranjan
— Sahu, Shri Santosh Kumar

— Saikia, Dr. Nagen
— Salve, Shri N.K.P.
— Samantaray, Shri Pravat Kumar
— Sanadi, Prof. I. G.
— Saqhy, Shri T.A. Mohammed
— Sarang, Shri Kailash Narain
— Satya Bahin, Shrimati
— Sen, Shri Ashis
— Sen, Shri Sukomal
— Shah, Shri Viren J.
— Sharma, Shri Chandan
— Sharma, Shri Krishan Lal
— Sharma, Shri Satish Kumar
— Shiv Shanker, Shri P.
— Siddiqui, Shri Abdul Samad
— Singh, Shri Digvijay
— Singh, Shri K.N.
— Singh, Shrimati Pratibha
— Singh, Dr. Rudra Pratap
— Singh, Shri Shankar Dayal
— Singh, Shri Surender
— Singh, Shri Vishvjit P.
— Sivaji, Dr. Yelamanchili
— Solanki, Shri Gopalsinh G.
— Solanki, Shri Madhavsinh
— Som Pal, Shri
— Shreedharan, Shri Arnagti
— Sushma Swraj, Shrimati
— Swell, Shri G.G.

— Talari Manohar, Shri
— Thakur, Prof. Chandresh P.
— Thakur, Shri Rameshwar
— Thakur, Shri Surendra Singh

— Tharadevi, Shrimati D.K.
— Tiria, Kumari Sushila
— Topden, Shri Karma
— Trivedi, Shri Dineshbhai
— Tyagi, Shri Shanti

— Upendrai Shri Parvathaneni

— Vajpayee, Shri Atal Bihari
— Veerappan, Shri K.K.
— Venkatraman, Shri Tindivanam G.
— Verma, Shri Ashok Nath
— Verma, Shri Kapil
— Verma, Shrimati Veena
— Verma, Shri Virendra
— Viduthalai Virumbi, Shri S.

— Yadav, Shri Ish Dutt
— Yadav, Shri Ram Naresh
— Yadav, Shri Ranjan Prasad
— Yonggam, Shri Nyodek

Noes—Nil

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up clause-by-clause consideration.

Clause 2—Amendment of the Ninth Schedule.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Clause 2. There is one amendment by Prof. Chandresh P. Thakur.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : Madam, I move :

"That at page 4, *after* the last line the following Explanation be *inserted*, namely :—

Explanation 1. To avoid any procrastination it is hereby declared that the Government shall enact and enforce the law on ceiling on land, ceiling on land holdings on a time bound basis and report to the Parliament at the earliest possible.

Explanation 2. For removal of any uncertainty it is hereby declared that Government shall implement the land reforms in the country with a time bound programme and report to the Parliament accordingly."

The question was proposed.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : Madam, I will say just one sentence. This is the only occasion when we have our friend, Upendraji, in this House. We have totally lost him to the other House or wilderness. I would like to go on record that such occasions should come frequently so that we are able to get him back.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Is this your amendment ?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : Madam, he belongs to this House. Only one point I would like to make.

SHRI P. UPENDRA : That is my in-laws' house.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : The objective behind bringing this amendment was very simple. As a Member of Parliament over the years I have found from other experiences that the Executive has a tendency to take Parliament for a ride. Acts are passed and Constitution is amended, but the intentions behind that are not carried through for years and years together. By this amendment I am taking this opportunity to go on record that

[Prof. Chandresh P. Thakur]

this Parliament from now onwards will chase the Executive much more vigorously and demand much pointed accountability on the pace of progress of the intentions behind these legislations. As a Parliamentarian I would like to assert that our right to ask for compliance should be vigorously pursued and we should put on record. that we demanded and we got accountability from the Executive. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Are you pressing your amendment ?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : Let the Parliamentary Affairs Minister assure me accountability.

श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा : जो अमेंडमेंट है उसको वे वापस लें ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, I shall put clause 2 to vote. The question is :

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN :

Ayes	177
Noes	Nil

AYES—177

Afzal, Shri Mohammad
Agarwal, Shri Lakkhiram
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S. S.
Alia, Kumari
Alva, Shrimati Margaret
Amin, Shri Mohammed
Amla, Shri Tirath Ram
Ansari, Shri Mohammed Amin
Ashwani Kumar, Shri
Azam, Shri Ghufran
Azmi, Maulana Obaidullah Khan

Baby, Shri M. A.
Bagrodia, Shri Santosh
Bakht, Shri Sikander
Balanandan, Shri E.
Balaram, Shri N. E.
Barongpa, Shri Sushil
Basumatary, Shri Amritlal
Basu Ray, Shri Sunil
Bekal Utsahi, Shri
Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant
Bhardwaj, Shri Hansraj
Bhatia, Shri Madan
Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker
Bhattacharjee, Prof. Sourendra
Biswas, Shri Debabrata
Buragohain, Shri Bhadreswar

Chakravarty, Shrimati Bijoya
Chanpuria, Shri Shivprasad
Chaudhary, Harmohan Singh
Chaudhuri, Shri Tridib
Chavan, Shri S. B.
Chowdhary Ram Sevak
Chowdhry Hari Singh
Chowdhury, Shrimati Renuka

Das, Shrimati Mira
Dave, Shri Anantray Devshanker
Deepak, Shri Krishan Kumar
Desai, Shri Jagesh
Dhawan, Shri R. K.

Faguni Ram, Dr.
Fernandes, Shri John F.
Fotedar, Shri Makhan Lal

Gandhi, Shri Raj Mohan
Ganesan, Shri R. *aias* Misa R. Ganesan
Gautam, Shri Anand Prakash
Ghosh, Shri Dipen
Gopalsamy, Shri V.
Goswami, Shri Dinesh

Goswami, Shri Ramnarayan
Gurupadaswamy, Shri M. S.

Hanspal, Shri Harvendra Singh
Hanumanthappa, Shri H.
Hariprasad, Shri B. K.
Hashmi, Shri Shamim

Jacob, Shri M. M.
Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao
Jain, Dr. Jinendra Kumar
Jaiswal, Shri Anant Ram
Jani, Shri Jagadish
Javali, Shri J. P.
Jogi, Shri Ajit P. K.

Kailashpati, Shrimati
Kakodar, Shri Purushottam
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kalmadi, Shri Suresh
Kalvala, Shri Prabhakar Rao
Kar, Shri Narayan
Kenia, Kumari Chandrika Premji
Khan, Dr. Abrar Ahmed.
Khaparde, Miss Saroj
Khatun, Kumari Sayeeda
Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.
Kore, Shri Prabhakar B.

Lather, Shri Mohinder Singh
Ledger, Shri David
Lenka, Shri Kahnu Charan
Lotha, Shri Khyomo

Madhavan, Shri S.
Madni, Shri Maulana Asad
Maheshwari, Shrimati Sarala
Maheswarappa, Shri K. G.
Malaviya, Shri Radhakishan
Malviya, Shri Satya Prakash
Maran, Shri Murasoli
Msoodkar, Shri Bhaskar Annaji
Mathur, Shri Jagdish Prasad
Md. Salim, Shri
Meena, Shri Dhuleshwar
Mehta, Shri Chimanbhai
Mishra, Shri Shiv Pratap
Mohammad Yunus, Shri
Mohanty, Shri Sarada
Mohapatra, Shri Basudeb
Morarka, Shri Kamal
Mukherkee, Shri Samar

Naik, Shri G. Swamy
Naik, Shri R. S.
Nallasivan, Shri A.
Narayanasamy, Shri V.
Pachauri, Shri Suresh
Padmanabham, Shri Mentay
Palaniyandi, Shri M.
Pandey, Shrimati Manorama
Pandey, Dr. Ratnakar
Panwar, Shri B. L.
Parmar, Shri Rajubhai A.
Patel, Shri Chhotubhai
Patel, Shri Vithalbhai M.
Patil, Shrimati Suryakanta
Patil, Shri Vishwasrao Ramrao
Puglia, Shri Naresh C.

Rafique Alam, Shri
Rahman, Shri Mohd. Khaleelur
Rai, Shri Ratna Bahadur
Raja Ramanna, Dr.
Raju, Shri J. S.
Rao, Shri Moturu Hanumantha
Rathwa, Shri Ramsinh
Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan
Reddy, Dr. Narreddy Thulasi
Reddy, Shri T. Chandrasekhar

Sahay, Shri Dayanand
Sahu. Shri Rajni Ranjan
Sahu, Shri Santosh Kumar
Saikia, Dr. Nagen
Salve, Shri N. K. P.
Samantaray, Shri Pravat Kumar
Sanadi, Prof. I. G.
Saqhy, Shri T. A. Mohammed
Sarang, Shri Kailash Narain

Satya Bahin, Shrimati
Sen, Shri Ashis
Sen, Shri Sukomal
Shah, Shri Viren J.
Sharma, Shri Chandan
Sharma, Shri Krishan Lal
Sharma, Shri Satish Kumar
Shiv Shanker, Shri P.
Siddiqui, Shri Abdul Samad
Singh, Shri Digvijay
Singh, Shri K. N.
Singh, Shrimati Pratibha
Singh, Dr. Rudra Pratap
Singh, Shri Shankar Dayal
Singh, Shri Surender
Singh, Shri Vishvjit P.
Sivaji, Dr. Yelamanchili
Solanki, Shri Gopalsinh G.
Solanki, Shri Madhavsinh
Som Pal, Shri
Sreedharan, Shri Arangil
Sushma Swaraj, Shrimati
Swell, Shri G. G.

Talari Manohar, Shri
Thakur, Prof. Chandresh P.
Thakur, Shri Rameshwar
Thakur, Shri Surendra Singh
Tharadevi, Shrimati D. K.
Tiria, Kumari Sushila
Topden, Shri Karma
Trivedi, Shri Dineshbhai
Tyagi, Shri Shanti

Upendra, Shri Parvathaneni

Vajpayee, Shri Atal Bihari
Veerapan, Shri K. K.
Venkatraman, Shri Tindivanam G.
Verma, Shri Ashok Nath
Verma, Shri Kapil
Verma, Shrimati Veena
Verma, Shri Virendra
Viduthalai Virumbi, Shri S.

Yadav, Shri Ish Dutt
Yadav, Shri Ram Naresh
Yadav, Shri Ranjan Prasad
Yadava, Shri Bal Ram Singh
Yonggam, Shri Nyodek

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of Members present and voting.

Clause 2 was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN :

Ayes	174
Noes	Nil

AYES—174

Afzal, Shri Mohammad
Agarwal, Shri Lakkhiram
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S. S.
Alia, Kumari
Alva, Shrimati Margaret
Amin, Shri Mohammed
Amla, Shri Tirath Ram
Ansari, Shri Mohammed Amin
Ashwani Kumar, Shri
Azam, Shri Ghufran
Azmi, Maulana Obaidullah Khan

Baby, Shri M. A.
Bagrodia, Shri Santosh
Bakht, Shri Sikander
Balanandan, Shri E.
Balaram, Shri N. E.
Barongpa, Shri Sushil
Basumatary, Shri Amritlal

Basu Ray, Shri Sunil
Bekal Utsahi, Shri
Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant
Bhardwaj, Shri Hansraj
Bhatia, Shri Madan
Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker
Bhattacharjee, Prof. Sourendra
Birla, Shri Krishna Kumar
Biswas, Shri Debabrata
Buragohain, Shri Bhadreswar
Chakravarty, Shrimati Bijoya
Chaudhary, Harmohan Singh
Chaudhuri, Shri Tridib
Chavan, Shri S. B.
Chowdhary Ram Sewak
Chowdhry Hari Singh
Chowdhury, Shrimati Renuka
Das, Shrimati Mira
Dave, Shri Anantray Devshanker
Desai, Shri Jagesh
Dhawan, Shri R. K.
Faguni Ram, Dr.
Fernandes, Shri John F.
Fotedar, Shri Makhan Lal
Gandhi, Shri Raj Mohan
Ganesan, Shri R. *alias* Misa R. Ganesan
Gautam, Shri Anand Prakash
Ghosh, Shri Dipen
Gopalsamy, Shri V.
Goswami, Shri Dinesh
Goswami, Shri Ramnarayan
Gurupadaswamy, Shri M. S.
Hanspal, Shri Harvendra Singh
Hanumanthappa, Shri H.
Hariprasad, Shri B. K.
Hashmi, Shri Shamim
Jacob, Shri M. M.
Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao
Jain, Dr. Jinendra Kumar
Jaiswal, Shri Anant Ram
Jani, Shri Jagadish
Javali, Shri J. P.
Jogi, Shri Ajit P. K.
Kailashpati, Shrimati
Kakodkar, Shri Purushottam
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kalmadi, Shri Suresh
Kalvala, Shri Prabhakar Rao
Kar, Shri Narayan
Kenia, Kumari Chandrika Premji
Khan, Dr. Akbar Ahmed
Khaparde, Miss Saroj
Khatun, Kumari Sayeeda
Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.
Kore, Shri Prabhakar B.
Lather, Shri Mohinder Singh
Ledger, Shri David
Lenka, Shri Kahnu Charan
Lotha, Shri Khyomo
Madhavan, Shri S.
Madni, Shri Maulana Asad
Maheshwari, Shrimati Sarala
Maheswarappa, Shri K. G.
Malaviya, Shri Radhakishan
Malaviya, Shri Satya Prakash
Maran, Shri Murasoli
Masodkar, Shri Bhaskar Annaji
Mathur, Shri Jagdish Prasad
Md. Salim, Shri
Meena, Shri Dhuleshwar
Mehta, Shri Chimanbhai
Mishra, Shri Shiv Pratap
Mohammad Yunus, Shri
Mohanty, Shri Sarada
Mohapatra, Shri Basudeb
Morarka, Shri Kamal
Mukherjee, Shri Samar
Naik, Shri G. Swamy
Naik, Shri R. S.
Nallasivan, Shri A.
Narayanasamy, Shri V.
Padmanabham, Shri Mentay
Palaniyandi, Shri M.
Pandey, Shrimati Manorama
Pandey, Dr. Ratnakar
Panwar, Shri B. L.

Parmar, Shri Rajubhai A.
Patel, Shri Chhotubhai
Patel, Shri Vithalbhai M.
Patil, Shrimati Suryakanta
Patil, Shri Vishwasrao Ramrao
Puglia, Shri Naresh C.
Rafique Alam, Shri
Rahman, Shri Mohd. Khaleelur
Rai, Shri Ratna Bahadur
Raja Ramanna, Dr.
Raju, Shri J. S.
Rao, Shri Moturu Hanumantha
Rathwa, Shri Ramsinh
Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan
Reddy, Dr. Narreddy Thulasi
Reddy, Shri T. Chandrasekhar
Sahay, Shri Dayanand
Sahu, Shri Rajni Ranjan
Sahu, Shri Santosh Kumar
Saikia, Dr. Nagen
Salve, Shri N. K. P.
Samantaray, Shri Pravat Kumar
Sanadi, Prof. I. G.
Saqhy, Shri T. A. Mohammed
Sarang, Shri Kailash Narain
Satya Bahin, Shrimati
Sen, Shri Ashis
Sen, Shri Sukomal
Shah, Shri Viren J.
Sharma, Shri Chandan
Sharma, Shri Krishan Lal
Sharma, Shri Satish Kumar
Shiv Shanker, Shri P.
Siddiqui, Shri Abdul Samad
Singh, Shri Digvijay
Singh, Shri K. N.
Singh, Shrimati Pratibha
Singh, Dr. Rudra Pratap
Singh, Shri Shankar Dayal
Singh, Shri Surender
Singh, Shri Vishvjit P.
Sivaji, Dr. Yelamanchili
Solanki, Shri Gopalsinh G.
Solanki, Shri Madhavsinh
Som Pal, Shri
Sreedharan, Shri Arangil
Sushma Swaraj, Shrimati
Swell, Shri G. G.
Talari Manohar, Shri
Thakur. Prof. Chandresh P.
Thakur, Shri Rameshwar
Thakur, Shri Surendra Singh
Tharadevi, Shrimati D. K.
Tiria, Kumari Sushila
Topden, Shri Karma
Trivedi, Shri Dineshbhai
Tyagi, Shri Shanti
Upendra, Shri Parvathaneni
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Veerappan, Shri K. K.
Venkatraman, Shri Tindivanam G.
Verma, Shri Ashok Nath
Verma, Shri Kapil
Verma, Shrimati Veena
Verma, Shri Virendra
Viduthalai Virumbi, Shri S.
Yadav, Shri Ish Dutt
Yadav, Shri Ram Naresh
Yadav, Shri Ranjan Prasad
Yonggam Shri Nyodek.

NOES—NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN :

Ayes	177
Noes	Nil

AYES—177

Afzal, Shri Mohammad
Agarwal, Shri Lakkhiram
Agarwal, Shri Ramdas
Ahluwalia, Shri S. S.
Alia, Kumari
Alva, Shrimati Margaret
Amin, Shri Mohammed
Amla, Shri Tirath Ram
Anspri, Shri Mohammed Amin
Ashwani Kumar, Shri
Azam, Shri Ghufran
Azmi, Maulana Obaidullahs Khan
Baby, Shri M. A.
Bagrodia, Shri Santosh
Bakht, Shri Sikander
Balanandan, Shri E.
Balaram, Shri N. E.
Barongpa, Shri Sushil
Basumatary, Shri Amritlal
Basu Ray, Shri Sunil
Bekal Utsshi, Shri
Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant
Bhardwaj, Shri Hansraj
Bhatia, Shri Madan
Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker
Bhattacharjee, Prof. Sourendra
Biswas, Shri Debabrata
Buragohain, Shri Bhadreswar
Chakravarty, Shrimati Bijoya
Chanpuria, Shri Shivprasad
Chaudhary, Harmohan Singh
Chaudhuri, Shri Tridib
Chavan, Shri S. B.
Chowdhary Ram Sewak
Chowdhry Hari Singh
Chowdhury, Shrimati Renuka
Das, Shrimati Mira
Dave, Shri Anantray Devshanker
Deepak, Shri Krishan Kumar
Desai, Shri Jagesh
Dhawan, Shri R. K.
Faguni Ram Dr.
Fernandes, Shri John F.
Fotedar, Shri Makhan Lal
Gandhi, Shri Raj Mohan
Ganesan, Shri R. *alias* Misa R. Ganesan
Gautam, Shri Anand Prakash
Ghosh, Shri Dipen
Gopalsamy, Shri V.
Goswami, Shri Dinesh
Goswami, Shri Ramnarayan
Gurupadaswamy, Shri M. S.
Hanspal, Shri Harvendra Singh
Hanumanthappa, Shri H.
Haripraspd, Shri B. K.
Hashmi, Shri Shamim
Jacob, Shri M. M.
Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao
Jain, Dr. Jinendra Kumar
Jaiswal, Shri Anant Ram
Jani, Shri Jagadish
Javali, Shri J. P.
Jogi, Shri Ajit P. K.
Kailashpati, Shrimati
Kakodar, Shri Purushottam
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kalmadi, Shri Suresh
Kalvala, Shri Prabhakar Rao
Kar, Shri Narayan

Kenia, Kumari Chandrika Premji
Khan, Dr. Abrar Ahmed
Khaparde, Miss Saroj
Khatun, Kumari Sayeeda
Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.
Kore, Shri Prabhakar B.
Lather, Shri Mohinder Singh
Ledger, Shri David
Lenka, Shri Kahnu Charan
Lotha, Shri Khyomo
Madhavan, Shri S.
Madni, Shri Maulana Asad
Maheshwari, Shrimati Sarala
Maheswarappa, Shri K. G.
Malaviya, Shri Radhakishan
Malaviya, Shri Satya Prakash
Maran, Shri Murasoli
Masodkar, Shri Bhaskar Annaji
Mathur, Shri Jagdish Prasad
Md. Salim, Shri
Meena, Shri Dhuleshwar
Mehta, Shri Chimanbhai
Mishra, Shri Shiv Pratap
Mohammad Yunus, Shri
Mohanty, Shri Sarada
Mohapatra, Shri Basudeb
Morarka, Shri Kamal
Mukherjee, Shri Samar
Naik, Shri G. Swamy
Naik, Shri R. S.
Nallasivam, Shri A.
Pachouri, Shri Suresh
Padmanabham, Shri Mentay
Palaniyndi, Shri M.
Pandey, Shrimati Manorama
Pandey, Dr. Ratnakar
Panwar, Shri B. L.
Parmar, Shri Rajubhai A.
Patel, Shri Chhotubhai
Patel, Shri Vithalbhai M.
Patil, Shrimati Suryakanta
Patil, Shri Vishwasrao Ramrao
Puglia, Shri Naresh C.
Rafique Alam, Shri
Rahman, Shri Mohd. Khaleelur
Rai, Shri Ratna Bahadur
Raja Ramanna, Dr.
Raju, Shri J. S.
Rao, Shri Moturu Hanumantha
Rathwa, Shri Ramsinh
Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan
Reddy, Dr. Narreddy Thulasi
Reddy, Shri T. Chandrasekhar
Sahay, Shri Dayanand
Sahu, Shri Rajni Ranjan
Sahu, Shri Santosh Kumar
Saikia, Dr. Nagen
Salve, Shri N. K. P.
Samantaray, Shri Pravat Kumar
Sanadi, Prof. I. G.
Saqhy, Shri T. A. Mohammed
Sarang, Shri Kailash Narain
Satya Bahin, Shrimati
Sen, Shri Ashis
Sen, Shri Sukomal
Shah, Shri Viren J.
Sharma, Shri Chandan
Sharma, Shri Krishan Lal
Sharma, Shri Satish Kumar
Shiv Shanker, Shri P.
Siddiqui, Shri Abdul Samad
Singh, Shri Digvijay
Singh, Shri K. N.
Singh, Shrimati Pratibha
Singh, Dr. Rudra Pratap
Singh, Shri Shankar Dayal
Singh, Shri Surender
Singh, Shri Vishvjit P.
Sivaji, Dr. Yelamanchili
Solanki, Shri Gopalsinh G.
Solanki, Shri Madhavsinh
Som Pal, Shri
Sreedharan, Shri Arangil
Sushma Swaraj, Shrimati
Swell, Shri G. G.
Talari Manohar, Shri
Thakur, Prof. Chandresh P.
Thakur, Shri Rameshwar

Thakur, Shri Surendra Singh
Tharadevi, Shrimati D. K.
Tiria, Kumari Sushila
Topden, Shri Karma
Trivedi, Shri Dineshbhai
Tyagi, Shri Shanti
Upendra, Shri Parvathaneni
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Veerappan, Shri K. K.
Venkatraman, Shri Tindivanam G.
Verma, Shri Ashok Nath
Verma, Shri Kapil
Verma, Shrimati Veena
Verma, Shri Virendra
Vidathalai Virumbi, Shri S.
Yadav, Shri Ish Dutt
Yadav, Shri Ram Naresh
Yadav, Shri Ranjan Prasad
Yonggam, Shri Nyodek

NOES—NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two small Bills. We are passing them without discussion.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF OFFICERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL, 1990

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. UPENDRA): Madam Deputy Chairman, I move:

"that the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration"

The question was put and the motion was adopted.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Madam, what about the increase of salaries for MPs and pension for ex-MPs?

SHRI P. UPENDRA: I have already initiated action. The file has gone to the Ministry of Finance. In the next session, I will bring a Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.